



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042026-271741
CG-DL-E-11042026-271741

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]
No. 257]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

फा. सं. एल-1/268/2022/सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 61 के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के बाद, समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2024 (जिसे इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) को संशोधित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- 1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026 है।
- 1.2 ये विनियम, अपने विनियमों 51 और 52 के संशोधनों को छोड़कर, शासकीय राजपत्र में अपनी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 1.3 विनियमों 51 और 52 में संशोधन दिनांक 1.4.2024 से लागू होंगे।

2. **मूल विनियमों के विनियम 2 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 2 में खंड (2) के बाद निम्नलिखित नया खंड अर्थात् 2(क) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

“2(क) ये विनियम उन सभी मामलों में भी लागू होंगे जहाँ कोयला या लिग्नाइट या गैस—आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशन या अंतर—राज्यिक पारेषण प्रणाली उन लाभार्थियों या नामित आईएसटीएस ग्राहकों, यथास्थिति, के उपयोग के लिए एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली से विद्युत की आपूर्ति और भंडारण के लिए संस्थापित किया जाता है जिनका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 और उसके साथ पठित उसकी धारा 79 के अधीन आयोग द्वारा अवधारित किया जाना अपेक्षित है।”

3. **मूल विनियमों के विनियम 3 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 3 में:—

- i) खंड (24) में, शब्दों “अंतरसंयोजन ट्रांसफार्मर” के बाद शब्दों “और एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली” अंतर्वेशित किए जाएंगे:—
- ii) खंड (62) में, —
- क) उप-खंड (i) में, शब्दों “बायोमास पैलेट प्रचालन प्रणाली” के बाद और शब्दों “प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली” से पूर्व शब्द “एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली” अंतर्वेशित किए जाएंगे;
- ख) उप-खंड (iii) में, शब्दों “संचार प्रणाली” के बाद शब्द “और एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली” खंड के अंत में अंतर्वेशित किए जाएंगे;
- (iii) खंड (70) में, शब्दों “एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली” को शब्दों “संबद्ध संचार प्रणाली” के बाद अंतर्वेशित किया जाएगा।
- (iv) खंड (82) में, शब्दों “सहबद्ध संचार प्रणाली” के बाद शब्द “और एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली” खंड अंतर्वेशित किए जाएंगे;
- (v) खंड (87) में, उप-खंड (i) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड अर्थात् (ज) अंतर्वेशित किया जाएगा:—

“(ज) लिथियम—आयन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली 15 वर्ष”

परंतु यह कि नवीन प्रौद्योगिकी के ऊर्जा भंडारण प्रणाली के उपयोगी जीवन को पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।”

4. **मूल विनियमों में नए विनियम 3क का अंतर्वेशन:** मूल विनियमों के विनियम 3 के बाद, एक नया विनियम अर्थात् विनियम 3क अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

“3क. **अतिरिक्त परिभाषाएं:** इन विनियमों में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित परिभाषाएं उपयोग में लाई जाएंगी:—

- (1) ‘एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए सहायक ऊर्जा उपभोग’ या ‘एयूएक्स(ईएसएस)’ से मूल विनियमों के विनियम 3 के खंडों (7) और (8) के अधीन सहायक ऊर्जा उपभोग के अतिरिक्त थर्मल उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली के एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के सहायक उपकरण द्वारा उपभुक्त ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है:

परंतु यह कि एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली का सहायक ऊर्जा उपभोग का मापन ऊर्जा लेखांकन के लिए पृथक रूप से किया जाएगा।

- (2) ‘बैटरी सेल’ से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का इलेक्ट्रोकेमिकल उपकरण अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रीकल ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में भंडारित करता है और रसायन ऊर्जा को इलेक्ट्रीकल ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जिसमें विद्युत उत्पादित करने की क्षमता के साथ सकारात्मक (कैथोड) और नकारात्मक (एनोड) इलेक्ट्रोड शामिल हैं।
- (3) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के संबंध में ‘बैटरी चक्र’ से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के एक चक्र को पूरा करने के लिए डिस्चार्ज की गहराई से बैटरी के चार्ज होने से लेकर उसकी अधिकतम रेटिंग और डिस्चार्ज की गहराई के समतुल्य उसकी न्यूनतम विनिर्दिष्ट रेटिंग तक डिस्चार्ज होना अभिप्रेत है:

परंतु यह कि ‘डिस्चार्ज की गहराई (डीओडी)’ से वह स्तर अभिप्रेत है जिस तक एक बैटरी को डिस्चार्ज किया जा सकता है, जो कि उस ऊर्जा की अधिकतम संभव मात्रा के सापेक्ष है जिसे बैटरी द्वारा एकल प्रचालन चक्र में डिस्चार्ज किया जा सकता है, और यह प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

- (4) 'सी-रेट - चार्ज या डिस्चार्ज रेट' से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से डिस्चार्ज या चार्जिंग की दर अभिप्रेत है जो इसकी कुल क्षमता प्रति घंटा के सापेक्ष है और सी-रेट के अंश के रूप में एक-घंटा डिस्चार्ज के संदर्भ में व्यक्त की जाती है।
- (5) ऊर्जा भंडारण प्रणाली के संबंध में 'एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख' या 'सीओडी(ईएसएस)' का वही अर्थ होगा जैसा कि ग्रिड कोड के अध्याय 5 में यथा विनिर्दिष्ट है।
- (6) उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली के साथ एकीकृत, एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के संबंध में 'एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली की घोषित क्षमता' या 'डीसी(ईएसएस)' से सफल चार्जिंग के बाद भंडारित विद्युत को विधिवत रूप से ध्यान में रखते हुए, ऐसी उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित मेगावाट या मेगावाट घंटा में एक्स-बस विद्युत डिलीवर करने हेतु क्षमता अभिप्रेत है और यह इन विनियमों में अतिरिक्त अर्हता के अध्वधीन है।
- (7) 'ऊर्जा भंडारण प्रणाली' या 'ईएसएस' का वही अर्थ होगा जैसा कि ग्रिड कोड के विनियम 3 के खंड (46) में यथा विनिर्दिष्ट है।
- (8) 'एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली' से मौजूदा उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली, यथास्थिति, की विद्युतीय प्रणाली के माध्यम से सामान्य बस-बार से जुड़ा उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली, यथास्थिति, के साथ सह-स्थित ऊर्जा भंडारण प्रणाली अभिप्रेत है, और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या लाभार्थियों या नामित आईएसटीएस ग्राहकों, यथास्थिति, की आवश्यकता के अनुसार ग्रिड का सुरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन सुनिश्चित करना या पारेषण निवेश को आस्थगित करना और उत्पादन स्टेशन के तन्मय प्रचालन को संवर्धित करना, यथास्थिति है।
- (9) 'एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली की अधिकतम निरंतर रेटिंग' या 'एमसीआर(ईएसएस)' से विनिर्दिष्ट अवधि (घंटों में) के लिए रेटेड मानदंडों पर विनिर्माता द्वारा गारंटीकृत एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के डिस्चार्ज के दौरान विद्युत (मेगावाट में) की अधिकतम निरंतर मात्रा अभिप्रेत है,
- (10) किसी अवधि के लिए उत्पादन स्टेशन के साथ एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के संबंध में 'ऊर्जा भंडारण प्रणाली का संयंत्र उपलब्धता कारक' या '(पीएफईएसएस)' से इन विनियमों के अनुसार मेगावाट में रेटेड क्षमता घंटा सहायक ऊर्जा खपत की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त अवधि के दौरान सभी दिवसों के लिए पीक घंटों (डीसी) के दौरान घोषित दैनिक क्षमताओं का औसत अभिप्रेत है;
- (11) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के संबंध में 'रेटेड क्षमता' से ऊर्जा की वह कुल मात्रा अभिप्रेत है जिसे मूल उपकरण विनिर्माता के विनिर्देशों के अनुसार एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली में भंडारित किया जा सकता है, और यह 2.0% के वार्षिक डीग्रेडेशन द्वारा विधिवत रूप से समायोजित किलोवाट-घंटा (केडब्ल्यूएच) या मेगावाट-घंटा(एमडब्ल्यूएच) के अनुसार व्यक्त होता है और इसकी समीक्षा तीन वर्षों की अवधि के भीतर की जाएगी।
- (12) किसी अवधि के संबंध में 'एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली की राउंड ट्रिप क्षमता' या 'आरटीई(ईएसएस)' से एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली को चार्ज करने के लिए आपूर्ति ऊर्जा की प्रतिशतता के रूप में उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली की एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली द्वारा डिलीवर की गई ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है जो कि मास के दौरान 85% या वास्तविक से अधिकतर होगी।
- (13) ऊर्जा एकीकृत भंडारण प्रणाली के संबंध में 'चार्ज की अवस्था' से किसी समय पर विद्युत की आपूर्ति के लिए एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के पास उपलब्ध चार्ज की मात्रा अभिप्रेत है और इसे उसकी रेटेड क्षमता के संदर्भ में प्रतिशतता क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है।

5. **मूल विनियमों के विनियम 5 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 5 में, निम्नलिखित नया खंड (3) अंतर्वेशित किया जाएगा:-

"(3) उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली के साथ संस्थापित एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली की, पूर्णतया या आंशिक क्षमता या चरण-वार, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी।"

6. **मूल विनियमों के विनियम 8 का संशोधन:-** मूल विनियमों के विनियम 8 में:-

i) खंड (1) में, -

क) शब्दों "उत्पादन स्टेशन और उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली" के स्थान पर शब्द "उत्पादन स्टेशन, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली" रखे जाएंगे:

- ख) शब्दों "और एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली, जहाँ भी लागू हो" को शब्दों "किसी पारेषण प्रणाली" के बाद और शब्दों "के लिए टैरिफ का अवधारण" से पहले अंतर्वेशित किया जाएगा;
- ग) शब्दों "या एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली" को "संबद्ध संचार प्रणाली" शब्दों के बाद अंतर्वेशित किया जाएगा;
- घ) परंतुक (iii) के बाद निम्नलिखित परंतुक (iv) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:-

"उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 90 दिनों के अंदर इन विनियमों के अनुसार कोयला, लिग्नाइट या गैस-आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली, यथास्थिति, में संस्थापित एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए अनुपूरक टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन करेगा।"

- ii) खंड (5) के बाद निम्नलिखित खंड (5क) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5क) एकीकृत ऊर्जा भंडारण के अनुपूरक ऊर्जा प्रभार की संगणना संबद्ध उत्पादन स्टेशन से प्राप्त की गई विद्युत के ऊर्जा प्रभार दर या एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली को चार्ज करने के लिए संबद्ध उत्पादन स्टेशन के अलावा स्रोतों से प्राप्त की गई विद्युत के टैरिफ, यथास्थिति, के आधार पर की जाएगी, और इसे एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली की राउंड-अप दक्षता और सहायक ऊर्जा उपभोग के लिए समायोजित किया जाएगा।"

7. मूल विनियमों के विनियम 9 का संशोधन: विनियम 9 में:-

- i) खंड (3) के बाद, एक नया खंड (3क) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3क) उस मामले में जहाँ एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई, पारेषण प्रणाली या उसके सब-स्टेशन के साथ संस्थापित है, वहाँ संपरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित वास्तविक पूंजीगत व्यय के आधार पर अनुपूरक टैरिफ (परिवर्तनीय ऊर्जा प्रभारों के साथ या उसके बिना नियत भंडारण प्रभार) के अवधारण के लिए किया जाएगा।"

- ii) खंड (1) के चौथे परंतुक में, शब्दों "उसके घटक के लिए" के बाद और शब्दों "आवेदक, इन विनियमों के" से पहले शब्दों "या उत्पादन यूनिट या पारेषण प्रणाली के साथ एकीकृत नई ऊर्जा भंडारण प्रणाली" को जोड़ा जाएगा।

- iii) खंड (4) के बाद एक नया खंड (4क) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4क) जहाँ किसी उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने अपने उत्पादन स्टेशनों पर या पारेषण प्रणाली में, यथास्थिति, एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली संस्थापित की है, वहाँ उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के उपबंध के अनुसार एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 90 दिनों के अंदर एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के अनुपूरक टैरिफ के अवधारण हेतु याचिका दाखिल करेगा।"

8. मूल विनियमों के विनियम 10 का संशोधन: विनियम 10 में:-

- i) खंड (1) में, शब्दों "एकीकृत खदान के लिए" के बाद और शब्द "या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी" से पहले शब्द "या एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली" अंतर्वेशित किए जाएंगे।

- ii) खंड (1) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को जोड़ा जाएगा:-

"स्पष्टीकरण: परिशिष्ट-I में विनिर्दिष्ट टैरिफ दाखिल करने के फॉर्म को, समुचित आशोधन के बाद जहाँ अपेक्षित हो, पृथक रूप से अनुपूरक टैरिफ के अवधारण हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए उपयोग किया जाएगा।"

9. मूल विनियमों के विनियम 11 का संशोधन: मूल विनियमों के विनियम 11 में:-

- i) मौजूदा खंड को संख्या (1) प्रदान किया जाएगा।

- ii) मूल विनियमों के विनियम 11 के खंड (1) में, शब्दों "या एकीकृत खदान के लिए" के बाद और शब्दों "या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी" से पहले शब्द "या एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली" अंतर्वेशित किए जाएंगे।

iii) मूल विनियमों के विनियम 11 के खंड (1) में, शब्दों "या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी" के बाद और शब्दों "कोई अतिरिक्त पूंजीकरण करना" से पहले शब्दों "पारेषण प्रणाली या संबद्ध एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए" अंतर्वेशित किए जाएंगे।

iv) खंड (1) के बाद, निम्नलिखित नया खंड (2) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) उत्पादन स्टेशन या सब-स्टेशन, यथास्थिति, के लिए एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के कारण कोई अतिरिक्त पूंजीकरण करने वाली उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे व्यय के लिए आधारभूत पूर्वधारणाओं, प्राक्कलनों और स्पष्टीकरण के साथ लाभार्थियों, या दीर्घकालीन ग्राहकों, यथास्थिति, को पूर्व नोटिस के बाद ऐसा व्यय वहन करने के लिए सिद्धांततः अनुमोदन हेतु याचिका दाखिल करेगा।"

10. **मूल विनियमों के विनियम 13 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 13 में:—

i) खंड (1) के उप-खंड (ग) में, शब्दों "उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली" के बाद और शब्दों "आयोग द्वारा यथा स्वीकृत" से पहले शब्द "या एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली" अंतर्वेशित किए जाएंगे।

ii) खंड (3) में, शब्दों "पारेषण प्रणाली या उसके घटक" के बाद शब्द "या एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली, यथास्थिति," अंतर्वेशित किए जाएंगे।

11. **मूल विनियमों के विनियम 14 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 14 में, एक नया खंड अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(6) उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली, यथास्थिति, में एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली की संस्थापन के कारण अनुपूरक नियत भंडारण प्रभारों और अनुपूरक ऊर्जा प्रभारों सहित अनुपूरक टैरिफ का अवधारण आयोग द्वारा पृथक रूप से किया जाएगा।"

12. **मूल विनियमों के विनियम 15 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 15 में, खंड (2) के बाद निम्नलिखित नया खंड (2क) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2क) ऊर्जा भंडारण प्रणाली के अनुपूरक क्षमता प्रभार या अनुपूरक नियत भंडारण प्रभार: एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के अनुपूरक क्षमता प्रभार, ऊर्जा भंडारण प्रणाली के वार्षिक नियत लागत (एएफसीईएसएस) के आधार पर प्राप्त किए जाएंगे। एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए वार्षिक नियत लागत में इस विनियम के खंड (1) के उप-खंडों (क) से (ड) में यथा सूचित घटकों को शामिल किया जाएगा।

13. **मूल विनियमों के विनियम 16 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 16 में:—

i) मौजूदा खंड को संख्या खंड (1) प्रदान किया जाएगा।

ii) खंड (1) के बाद, निम्नलिखित नया खंड (2) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली, यथास्थिति, में संस्थापित एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के अनुपूरक ऊर्जा प्रभारों में ऊर्जा भंडारण प्रणाली की सहायक ऊर्जा उपभोग और राउंड-ट्रिप क्षमता के समायोजन के बाद, आपूर्ति विद्युत की लागत निम्नानुसार शामिल होगी:

(क) उत्पादन स्टेशन के ऊर्जा प्रभार यदि उसे उसी उत्पादन स्टेशन से प्राप्त किया गया है; या

(ख) अन्य उत्पादन स्टेशन के ऊर्जा प्रभार यदि उसे पारेषण हानियों के समायोजन के बाद सामान्य लाभार्थियों के हिस्से से प्राप्त किया गया है; या

(ग) उत्पादन स्टेशन में लागू अनुमोदित टैरिफ या खुले बाजार से प्रतिस्पर्धात्मक दर के आधार पर प्राप्त उत्पादन स्टेशन के मीटरिंग बिंदु पर प्राप्त की गई विद्युत की लागत।"

14. **मूल विनियमों के विनियम 18 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 18 में, खंड 6 के बाद, नया खंड (7) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(7) टैरिफ अवधि के दौरान ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए व्ययित कोई व्यय, जिसे अनुपूरक टैरिफ के अवधारण के लिए उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में आयोग द्वारा यथा स्वीकृत किया गया है, का निपटान इस विनियम के खंड (1) में विनिर्दिष्ट ढंग से किया जाएगा।"

15. **मूल विनियमों के विनियम 19 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 19 में,—

- i) खंड (1) में, शब्दों "उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली" से पहले शब्दों "एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित" अंतर्वेशित किए जाएंगे।
- ii) खंड (2) में, उप-खंड (त) के बाद, नया उप-खंड निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:
"(थ) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के कारण, व्ययित या व्ययित किया जाने वाला अनुमानित व्यय।"
- iii) खंड (3) में, उप-खंड (झ) के बाद, नया उप-खंड निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:
"(अ) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के कारण, व्ययित या व्ययित किया जाने वाला अनुमानित व्यय।"

16. **मूल विनियमों के विनियम 23 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 23 में,—

- i) खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित नया खंड (vii) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
"(vii) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली — 4.00%"
- ii) खंड (iv) के बाद, परंतुक में, निम्नलिखित नया खंड (v) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

"v. जहाँ उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली में एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली संस्थापित है, वहाँ इस विनियम में विनिर्दिष्ट आरंभिक स्पेयर्स मूल परियोजना के लिए अनुज्ञात आरंभिक स्पेयर्स के अलावा हैं और उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उसके व्यय का रखरखाव पृथक रूप से करेंगे।"

17. **मूल विनियमों के विनियम 24 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 24 के खंड (1) में, शब्दों "विद्यमान परियोजना" के बाद और शब्दों "उपगत या अनुमानित उपगत" से पहले शब्द "एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित" अंतर्वेशित किए जाएंगे।

18. **मूल विनियमों के विनियम 25 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 25 के खंड (1) में, शब्दों "नई परियोजना" के बाद और शब्द "निम्नलिखित आधारों पर" से पहले शब्द "एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित" अंतर्वेशित किए जाएंगे।

19. **मूल विनियमों के विनियम 26 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 26 के खंड (1) में, शब्दों "संचार प्रणाली" के बाद और शब्दों "उपगत या अनुमानित उपगत" से पहले शब्द, "एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली" अंतर्वेशित किए जाएंगे।

20. **मूल विनियमों के विनियम 27 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 27 के खंड (1) में, शब्दों "या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी" को हटा दिया जाएगा।

21. **मूल विनियमों के नए विनियमों 29क और 29ख का अंतर्वेशन:** मूल विनियमों के विनियम 29 के बाद, नए विनियम 29क अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

"29क. उत्पादन स्टेशन के साथ एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण: (1) जिस उत्पादन कंपनी को एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए मौजूदा उत्पादन स्टेशन में अतिरिक्त पूंजीगत व्यय करने की आवश्यकता होगी, उसे अपना प्रस्ताव लाभार्थियों के साथ उनके विचार हेतु साझा करना होगा, और 30 दिनों के भीतर जवाब मांगना होगा। उत्पादन कंपनी, उसके पश्चात्, व्यवहार्यता अंतर निधिकरण योजना के अधीन कवर किए गए को छोड़कर, लाभार्थियों के जवाब के साथ योजना के चरण में एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के सिद्धांततः अनुमोदन के लिए याचिका दाखिल करेगा। व्यवहार्यता अंतर निधिकरण योजना के अधीन कवर की गई एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए, उत्पादन कंपनी इन विनियमों की अधिसूचना के छह मास के भीतर, उत्तरवर्ती चरण में अनुमोदन हेतु याचिका दाखिल करेगी।

- (2) उपर्युक्त खंड (1) के अधीन प्रस्ताव में प्रस्तावित प्रौद्योगिकी, कार्य का दायरा, व्यय की चरणबद्धता, पूरा करने का शेड्यूल, निर्माण के दौरान ब्याज सहित पूरा करने की अनुमानित लागत, विदेशी विनिमय संघटक, यदि कोई हो, लाभार्थियों के लिए टैरिफ पर इंगित प्रभाव की विस्तृत संगणना, लागत-लाभ विश्लेषण और उत्पादन कंपनी द्वारा सुसंगत समझे जाने वाली कोई अन्य सूचना शामिल होगी।

- (3) जहाँ उत्पादन कंपनी एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के अनुमोदन हेतु आवेदन करती है, वहाँ आयोग लागत प्राक्कलनों, वित्तीय नियोजन, पूरा करने के शेड्यूल, निर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग, लागत-लाभ विश्लेषण, और आयोग द्वारा सुसंगत समझे जाने वाले ऐसे किसी अन्य कारकों की यक्तियुक्तता पर विधिवत विचार करने के बाद सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान कर सकता है।
- (4) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली का कार्यान्वयन पूरा होने के पश्चात्, उत्पादन कंपनी एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए अनुपूरक टैरिफ के अवधारण हेतु याचिका दाखिल करेगी। लागत की युक्तियुक्तता पर आधारित विवेकपूर्ण जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकृत और व्ययित या व्यय किए जाने हेतु अनुमानित कोई व्यय टैरिफ के अवधारण का आधार बनेगा।
- (5) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के कारण अनुन्मोचित देयता को, विवेकपूर्ण जांच के अध्यक्षीन, उस वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाएगा जिसमें वह उन्मोचित हुआ है।”

“29ख. पारेषण प्रणाली के साथ एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण: (1) किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिसके लिए एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए मौजूदा पारेषण प्रणाली में अतिरिक्त पूंजीगत व्यय करना आवश्यक है, वह अपना प्रस्ताव प्रदेश के सभी दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों या नामित आईएसटीएस ग्राहकों, संबंधित प्रादेशिक विद्युत समितियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी, और संबंधित प्रादेशित भार प्रेषण केन्द्र के साथ उनका विचार मांगने के लिए साझा करेगा, और 30 दिनों के अंदर उनका जवाब मांगेगा।

- (2) जहाँ मौजूदा पारेषण प्रणाली के साथ एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली संस्थापित की जानी है, वहाँ संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रदेश के नामित आईएसटीएस ग्राहक या सभी दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों, यथास्थिति, को प्रस्ताव की प्रति अग्रेषित करेगा, व्यवहार्यता अंतर निधिकरण योजना के अधीन कवर किए गए को छोड़कर, दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों या नामित आईएसटीएस ग्राहकों के जवाब के साथ नियोजन चरण में सिद्धांततः अनुमोदन के लिए याचिका दाखिल करेगा। व्यवहार्यता अंतर निधिकरण योजना के अधीन कवर की गई एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों की अधिसूचना के छह मास के भीतर, उत्तरवर्ती चरण में अनुमोदन हेतु याचिका दाखिल करेगा।
- (3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को प्रस्तुत करने हेतु केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र और संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र से पारेषण प्रणाली के साथ प्रत्येक एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए सहमति प्राप्त करेगा।
- (4) उपर्युक्त खंडों (1) और (2) के अधीन प्रस्ताव में प्रस्तावित प्रौद्योगिकी के विवरण, कार्य का दायरा, व्यय की चरणबद्धता, पूरा करने का शेड्यूल, निर्माण के दौरान ब्याज सहित पूरा करने की अनुमानित लागत, विदेशी विनियम संघटक, यदि कोई हो, यथास्थिति, लाभार्थियों के लिए टैरिफ पर इंगित प्रभाव की विस्तृत संगणना, लागत-लाभ विश्लेषण और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुसंगत समझे जाने वाली कोई अन्य सूचना शामिल होगी।
- (5) जहाँ पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के संस्थापन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के अनुमोदन हेतु आवेदन करता है, वहाँ आयोग निम्नलिखित पर विचार करते हुए अनुमोदित कर सकता है:

क) ग्रिड प्रचालन की विश्वसनीयता सुदृढ़ करने के विशेष उपयोग या पारेषण प्रणाली का निवेश आस्थगित करने या विद्युत प्रणाली के दक्ष प्रचालन हेतु एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली, जहाँ लागत की वसूली केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण प्रभारों की शेयरिंग) विनियम, 2020 के माध्यम से की जाएगी;

परंतु यह कि जहाँ एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली का संस्थापन अन्य कारोबार के रूप में भंडारण सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाना है, वहाँ इसे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से व्युत्पन्न राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2020 द्वारा नियंत्रित किया जाएगा;

(ख) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली उपर्युक्त खंड (क) के अनुसार ग्रिड प्रचालन की विश्वसनीयता के लिए या निवेश आस्थगित करने या आयोग द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य उद्देश्य हेतु आंशिक रूप से उपयोग किया जा सकता है।

- (6) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली का कार्यान्वयन पूरा होने के पश्चात्, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए अनुपूरक टैरिफ के अवधारण हेतु याचिका दाखिल करेगा। लागत की युक्तियुक्तता पर आधारित विवेकपूर्ण जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकृत और व्ययित या व्यय किए जाने हेतु अनुमानित कोई व्यय टैरिफ के अवधारण का आधार बनेगा।

- (7) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के कारण अनुमोचित देयता को, विवेकपूर्ण जांच के अध्यक्षीन, उस वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाएगा जिसमें वह उन्मोचित हुआ है।”

22. मूल विनियमों के विनियम 30 का संशोधन:

- i) मूल विनियमों के विनियम 30 के खंड (3) के द्वितीय परंतुक के पैरा (iii) में, एक नया खंड (ग) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

“ग) इस विनियम के प्रयोजन हेतु रैम्प रेट का मापन, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा मापन के लिए ऊर्जा मापन को ध्यान में रखते हुए हितधारकों के साथ परामर्श में समुचित दिशानिर्देशों को जारी कर समुचित अंतराल में किया जाएगा।”

- ii) मूल विनियमों के विनियम 30 के खंड (3) के बाद, एक नया खंड (4) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(4) विद्यमान उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली, यथास्थिति, के साथ अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में संस्थापित एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए रिटर्न ऑफ इक्विटी की संगणना 14.00% के बेस दर पर की जाएगी।”

23. मूल विनियमों के विनियम 32 का संशोधन: मूल विनियमों के विनियम 32 के खंड (5) में निम्नलिखित पांचवा परंतुक अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह कि यदि उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, ने निर्माण अवधि या प्रचालन अवधि के दौरान उस मान्यता प्राप्त वित्तीय या ऋण संस्थाओं जो संबद्ध पार्टी के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं, द्वारा प्रभारित ब्याज की दर से अधिक ब्याज दर पर संबद्ध पार्टी से आंशिक या पूरा ऋण लिया है, तो ब्याज की दर होगी —

- क) संबद्ध पार्टी से लिए गए ऋण के भाग को छोड़कर, मौजूदा ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर संगणित ब्याज की भारित औसत दर; या
- ख) वास्तविक या 1-वर्ष एसबीआई एमसीएलआर जमा 205 बेसिस प्वाइंट्स का निम्नतर, जहाँ पूरा ऋण संबद्ध पार्टी से लिया गया है; और
- ग) नई परियोजना के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से या मौजूदा परियोजना के लिए इस विनियम की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर ऋण की पुनर्संरचना या पुनः ऋण लेने से कम किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: (1) संबद्ध पार्टी का अर्थ को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा 76 के अनुसार समझा जाएगा। (2) मान्यता प्राप्त वित्तीय या ऋण संस्थाओं का अर्थ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित अखिल भारत वित्तीय संस्थाएं, और सरकार के स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं।”

24. मूल विनियमों के विनियम 33 का संशोधन: मूल विनियमों के विनियम 33 में, एक नया खंड (13) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(13) उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली के साथ संस्थापित एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के मूल्यहास की वसूली निम्नलिखित ढंग से की जाएगी:—

- क) यदि एकीकृत ऊर्जा भंडारण को उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली के मूल दायरे के अंदर कार्यान्वित किया जाता है, तो एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित उत्पादन स्टेशन या उसके यूनिट या पारेषण प्रणाली के मूल्यहास की संगणना इस विनियम के खंडों (1) से (9) के अनुसार की जाएगी।
- ख) यदि विद्यमान उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली जिसमें संस्थापित एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली ने अभी भी अपना उपयोगी जीवन पूरा करना है, वहाँ मूल्यहास की संगणना इन विनियमों के परिशिष्ट-I में विनिर्दिष्ट दरों पर स्ट्रेट-लाइन विधि के आधार पर एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के प्रचालन की तारीख से वार्षिक रूप में की जाएगी:

परंतु यह कि ऐसे एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के प्रचालन की तारीख से 12 वर्षों की अवधि के बाद वर्ष समाप्ति के 31 मार्च को अप्राप्य मूल्यद्वय को एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के शेष उपयोगी जीवन या उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली के शेष प्रचालन जीवन, यथास्थिति, के निम्नतर पर लागू किया जाएगा, जो कि 10 वर्षों से कम नहीं होगा।

25. मूल विनियमों के विनियम 34 का संशोधन: मूल विनियमों के विनियम 34 के खंड (1) में, एक नया खंड (ड) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ड) कोयला, लिग्नाइट या गैस—आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों या पारेषण प्रणाली के एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए:—

- (i) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के अनुपूरक टैरिफ के 45 दिनों के समतुल्य प्राप्य राशियाँ;
- (ii) प्रचालन और रखरखाव व्यय के 10% पर रखरखाव स्पेयर्स और
- (iii) एक मास के लिए प्रचालन और रखरखाव व्यय।”

26. मूल विनियमों के विनियम 36 का संशोधन: मूल विनियमों के विनियम 36 में:—

- i) खंड (1) के उप-खंड (6) के प्रथम परंतुक में, शब्दों “जल प्रभारों की अनुमति” से पहले शब्द “संपरीक्षक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर लाभार्थियों से मासिक आधार पर वसूल किए जाने वाले” अंतर्वेशित किए जाएंगे।
- ii) खंड (1) के उप-खंड (6) के द्वितीय परंतुक में, शब्दों “उत्पादन स्टेशन” के बाद और शब्दों “टैरिफ के अवधारण” से पहले शब्द “को संपरीक्षक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर मासिक आधार पर सुरक्षा व्यय को वसूलने की अनुमति होगी और वह” अंतर्वेशित किए जाएंगे।
- iii) खंड (1) के उप-खंड (6) में, तृतीय परंतुक के बाद निम्नलिखित चौथा परंतुक अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और कि अवसंरचना या केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या उनकी इकाइयों के स्वामित्व वाले कार्यों के उद्देश्य से, जो कि रोड के निर्माण, फ्लाईओवर तटबंधों, तटवर्ती जिलों में शोरलाइन सुरक्षा संरचनाओं, बांधों, या खदान वायु के भरने तक सीमित हैं, ऐश की आपूर्ति के लिए थर्मल उत्पादन स्टेशनों द्वारा किए गए ऐश परिवहन व्यय को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, उत्पन्न राजस्व के समायोजन के बाद मासिक आधार पर लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति होगी:—

- क) ऐश परिवहन व्यय के लिए मासिक व्यय हेतु संपरीक्षक प्रमाणपत्र, और ऐश के उपयोगकर्ताओं से डिलीवरी के प्रमाणपत्र का प्रस्तुतिकरण;
- ख) पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से ऐश परिवहन अनुबंध प्रदान किया जाना;
- ग) स्वीकृत मासिक ऐश परिवहन व्यय टैरिफ अवधि के अंत में टू-अप के अध्यधीन है;
- घ) ऐश परिवहन व्यय के समायोजन के बाद अधिशेष राजस्व को गैर-टैरिफ आय के रूप में माना जाएगा; और
- ड) थर्मल कोयला और लिग्नाइट पर आधारित उत्पादन स्टेशन द्वारा ऐश का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 30 जनवरी, 2026 के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा;
- च) इस खंड में विनिर्दिष्ट मासिक वसूली की पद्धति इस खंड में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए उद्देश्यों जैसे कि निम्न लाइंग क्षेत्र को भरने, सीमेंट उद्योगों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना के अनुसार ईको-फ्रेंडली उद्देश्यों के लिए ऐश की आपूर्ति हेतु लागू नहीं होगी, परंतु उस पर लागू विनियमों के अनुसार केस टू केस आधार पर विचार किया जाएगा।”

- iv) खंड (2) के उप-खंड (क) में, शब्दों “और रखरखाव व्यय को” के बाद और शब्दों “पर नियत किया जाएगा” से पहले शब्दों और अभिव्यक्तियों को “3.0%” से और शब्दों “(पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्यों, आईडीसी और आईईडीसी की लागत को छोड़कर) के” के बाद और शब्दों “होगी और उत्तरवर्ती वर्षों” से पहले शब्दों और अभिव्यक्तियों को “4.5%” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- v) चौथे परंतुक के बाद, खंड (3) के उप-खंड (क) में, एक नया परंतुक अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह भी कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की पारेषण प्रणाली के ओ एंड एम व्ययों को टैरिफ के अवधारण के समय पर विषयानुसार गत वर्ष डाटा के आधार पर अनुमति दी जाएगी।”

vi) खंड (3) के बाद, एक नया खंड (4) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली: कोयला, लिग्नाइट या गैस-आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों या पारेषण प्रणाली, यथास्थिति, में एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के कारण प्रचालन और रखरखाव व्यय वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को स्वीकृत पूंजीगत व्यय (आईडीसी और आईईडीसी को छोड़कर) के 2.0% होंगे, जिसमें प्रचालन को प्रथम दो वर्षों के दौरान 5.25% की दर पर वार्षिक रूप से संवर्धन किया जाएगा;

परंतु यह कि उत्पादन कंपनी, या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, आयोग द्वारा विचार हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रचालन और रखरखाव व्यय के विवरण दाखिल करेगा और जहाँ आवश्यकता हो, आयोग स्वयं से या पृथक आदेश या उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, द्वारा दाखिल आवेदन के माध्यम से प्रचालन एवं रखरखाव व्यय को पुनरीक्षित कर सकता है।"

27. **मूल विनियमों के विनियम 37 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 37 में, खंड (3) के परंतुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि उत्पादन कंपनी अपनी याचिका में नई एकीकृत खदान में अंतरिम इनपुट कीमत का अनुरोध कर सकती है, जिसे आयोग द्वारा आवेदन की प्रथम सुनवाई के बाद दावा की गई इनपुट कीमत के 90% तक स्वीकृत किया जा सकता है;

परंतु यह और कि इन विनियमों के अधीन अवधारित लिग्नाइट की इनपुट कीमत और इस उप-विनियम के अनुसार उत्पादन कंपनी द्वारा अंगीकृत लिग्नाइट की इनपुट कीमत या इस उप-विनियम के प्रथम परंतुक के अधीन आयोग द्वारा अनुज्ञात अंतरिम इनपुट कीमत के बीच का अंतर इस विनियम के उप-विनियम (4) के अनुसार वसूलीयोग्य या देय होगा।"

28. **मूल विनियमों के विनियम 39 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 39 में:-

- i) खंड (1) में, शब्दों "कोयला खदान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015" को शब्दों और अभिव्यक्तियों "कोयला खदान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 या कोई अन्य लागू अधिनियम" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- ii) खंड (2) में, शब्दों "कोयला खदान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015" को शब्दों और अभिव्यक्तियों "कोयला खदान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 या कोई अन्य लागू अधिनियम" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- iii) नया खंड (4क) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4क) खनन योजना में विनिर्दिष्ट मात्रा के 100% तक एटीक्यू से अधिक कोयले के उत्पादन के लिए उत्पादन कंपनी को कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा:

परंतु यह कि यदि एकीकृत खदान से कोयले या लिग्नाइट, यथास्थिति, का वास्तविक उत्पादन खनन योजना में विनिर्दिष्ट मात्रा के 100% से अधिक होता है, तो उत्पादन कंपनी निम्नलिखित फॉर्मूले द्वारा निकाली गई उच्चतर दक्षता पर बचत का पचास प्रतिशत रखेगी:-

लाभ की शेयरिंग = $1/2 \times$ बचत \times अतिरिक्त डिलीवरी

बचत = [आरओएम लागत (खनन योजना में यथा विनिर्दिष्ट कोयले या लिग्नाइट की वार्षिक मात्रा) - आरओएम लागत (वास्तविक उत्पादन),

जहाँ,

- i) आरओएम लागत (वास्तविक उत्पादन) कोयले या लिग्नाइट की प्रति टन रूप में आरओएम लागत है जिसे इस विनियम के उप-विनियम (2) और (3) के अनुसार खनन योजना में विनिर्दिष्ट कोयले या लिग्नाइट की वास्तविक मात्रा और वास्तविक वार्षिक निष्कर्षण लागत पर विचार कर प्राप्त किया जाता है;

- ii) आरओएम लागत (खनन योजना में विनिर्दिष्ट कोयला लिग्नाइट की 100% मात्रा) कोयला या लिग्नाइट के प्रति टन रूपए में आरओएम लागत है जिसे इस विनियम के विनियम (2) और (3) के अनुसार खनन योजना में विनिर्दिष्ट कोयले या लिग्नाइट की 100% मात्रा और वास्तविक वार्षिक निष्कर्षण लागत पर विचार कर प्राप्त किया जाता है;
- iii) अतिरिक्त डिलीवरी, खनन योजना में विनिर्दिष्ट कोयला या लिग्नाइट की 100% मात्रा से अधिक संबद्ध उत्पादन स्टेशन को डिलीवर की गई कोयले की मात्रा है।”

iv) खंड (5) में, शब्दों “रूपए प्रति टन के संदर्भ में” के बाद और शब्दों “प्राप्त किया जाएगा” से पहले शब्दों और अभिव्यक्तियों “एटीक्यू के आधार पर मासिक आधार पर” अंतर्वेशित किए जाएंगे और शब्दों और अभिव्यक्तियों “जिसका समाधान एकीकृत खदान से वास्तविक उत्पादन के आधार पर वर्ष के अंत में किया जाएगा, और अंतर राशि को छह-मासिक किशतों में समायोजित किया जाएगा” को शब्दों “प्राप्त किया जाएगा” के बाद अंतर्वेशित किया जाएगा।

29. मूल विनियमों के विनियम 41 का संशोधन: मूल विनियमों के विनियम 41 के खंड (3) में, द्वितीय परंतुक के बाद, निम्नलिखित तृतीय परंतुक अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह भी कि निवेश अनुमोदन जारी किए जाने से पूर्व उत्पादन कंपनी के बोर्ड के अनुमोदन के साथ एकीकृत खदान के विकास के लिए व्ययित व्यय भी पूंजीगत लागत का हिस्सा होगा, और आईडीसी और आईईडीसी पर इन विनियमों के विनियम 21 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ढंग से विचार किया जाएगा।”

30. मूल विनियमों के विनियम 42 का संशोधन: मूल विनियमों के विनियम 42 में:—

- i) खंड (1) में, शब्दों “खनन योजना के अनुसार” के बाद, शब्दों “या बोर्ड द्वारा निवेश अनुमोदन के अनुसार” को अंतर्वेशित किया जाएगा।
- ii) खंड (1) के उप-खंड (क) में, शब्दों “खनन योजना के अनुसार” के बाद और शब्दों “गतिविधियों पर व्ययित व्यय” से पहले शब्दों “या निवेश अनुमोदन या बोर्ड द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के अनुसार” अंतर्वेशित किए जाएंगे।
- iii) खंड (2) में उप-खंड (क) में, शब्दों “खनन योजना के अनुसार” के बाद और शब्दों “यदि कोई हो” से पहले शब्दों “या निवेश अनुमोदन या बोर्ड द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के अनुसार” अंतर्वेशित किए जाएंगे।

31. मूल विनियमों के विनियम 45 का संशोधन: मूल विनियमों के विनियम 45 में:—

- i) खंड (2) के परंतुक (ii) में, शब्दों “भूमि का आबंटन सशर्त है” और शब्दों “उसके वापसी अपेक्षित है” के बीच शब्द “और” को शब्द “या” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- ii) खंड (2) के परंतुक (ii) में, शब्दों “मूल्य बेस का भाग होगी” के बाद और शब्दों “य और” से पहले शब्दों “और खदान के प्रचालनकृत जीवन के बाद उक्त भूमि का निवल वसूलीयोग्य मूल्य या वैकल्पिक उपयोग के मामले में, भूमि की डीमड लागत, यदि कोई हो, लाभार्थियों के साथ पूर्णतया साझा की जाएगी” अंतर्वेशित किए जाएंगे।

32. मूल विनियमों के विनियम 50 का संशोधन: मूल विनियमों के विनियम 50 में:—

- i) खंड (2) में, शब्दों “कोयले की इनपुट कीमत” के बाद और शब्दों “पर आधारित तुलनात्मक ऊर्जा” से पहले शब्दों “या वैकल्पिक कोयले की कीमत, यथास्थिति,” को अंतर्वेशित किया जाएगा।
- ii) एक नया खंड (3) अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3) लिग्नाइट की किसी एकीकृत खदान के मामले में, यदि वास्तविक उत्पादन एटीक्यू से कम हो जाता है जिसका कारण लाभार्थियों (अन्य लाभार्थी या खुले बाजार के लिए अनुसूचीकरण सहित) से अनुसूचित उत्पादन का कम होना है तो उत्पादन कंपनी, खुले बाजार में बेचे गए लिग्नाइट को विधिवत घटाने के बाद, अप्रयुक्त लिग्नाइट की वार्षिक निष्कर्षण लागत के नियत घटकों की वसूली, प्रत्येक मामले के आधार पर करेगी;

33. मूल विनियमों के विनियम 51 का संशोधन: मूल विनियमों के विनियम 51 में:—

- i) खंड (3) के उप-खंड (क) में, शब्दों "यदि खनन विकासकर्ता और प्रचालक नियुक्त किया गया है" के स्थान पर शब्द "यदि खदान विकासकर्ता और प्रचालक अनुबंध के खनन प्रभार में ओबी समायोजन को शामिल नहीं किया गया है" रखे जाएंगे।
- ii) खंड (3) के उप-खंड (ख) में पैरा (iii) में, शब्दों और वाक्यांश "सविदा के अनुसार ओबी समायोजन के बिना" में शब्द "बिना" के स्थान पर शब्द "साथ" रखा जाएगा।
- (iii) खंड (3) के उप-खंड (ख) में पैरा (iv) को हटा दिया जाएगा।

34. मूल विनियमों के विनियम 52 का संशोधन: मूल विनियमों के विनियम 52 में:—

- i) खंड (2) के उप-खंड (ख) में, जीसीवी समायोजन के फॉर्मूले को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"यदि जीसीवी समायोजन या कोयले के जीसीवी को परिभाषित करने वाले मानदंडों के समायोजन को खदान विकासकर्ता और प्रचालक अनुबंध के खनन प्रभार में शामिल नहीं किया गया है:

जीसीवी समायोजन = [(खनन प्रभार), X [(कोयले की घोषित जीसीवी – वर्ष में निष्कर्षित कोयले की भारत औसत जीसीवी)/(कोयले की घोषित जीसीवी)]

यदि खदान विकासकर्ता और प्रचालक को नियुक्त नहीं किया गया है:

जीसीवी समायोजन = [(खनन गतिविधि के प्रचालन एवं रखरखाव व्यय/एटीक्यू) X [(कोयले का घोषित जीसीवी – वर्ष में निष्कर्षित कोयले का भारत औसत जीसीवी)/(कोयले का घोषित जीसीवी)]"

- 35. मूल विनियमों के विनियम 53 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 53 में, खंड (1) में शब्दों "कोयला खदान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015" को शब्दों और वाक्यांश "कोयला खदान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 या किसी अन्य लागू अधिनियम" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- 36. मूल विनियमों के विनियम 57 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 57 में, मौजूदा खंड को संख्या (1) प्रदान की जाएगी और तदुपरांत, एक नया खंड (2) अंतर्वेशित किया जाएगा:—

"(2) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के कारण अनुपूरक ऊर्जा प्रभारों में आयोग द्वारा यथा अनुमोदित उसी उत्पादन स्टेशन से आपूर्ति विद्युत के ऊर्जा प्रभार, या आयोग द्वारा यथा अवधारित या अंगीकृत अन्य उत्पादन स्टेशनों से आपूर्ति विद्युत की लागत या खुले बाजार से प्रतिस्पर्धात्मक दर पर खरीदी गई विद्युत की न्यूनतम लागत शामिल होगी।"

- 37. मूल विनियमों के विनियम 61 का संशोधन:** मूल विनियमों के विनियम 61 के बाद, निम्नलिखित विनियम 61क अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(61क) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली को चार्ज करने के लिए उपयोग की गई विद्युत की सकल लागत: अनुपूरक ऊर्जा प्रभारों के लिए किसी एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली हेतु विद्युत की लागत निम्नानुसार होगी:

- क) उत्पादन स्टेशन से ऊर्जा प्रभार यदि ऐसी ऊर्जा की आपूर्ति उसी उत्पादन स्टेशन के अधिशेष उत्पादन से की गई है;
- ख) ऐसे अन्य उत्पादन स्टेशन से ऊर्जा प्रभार जहाँ ऊर्जा की आपूर्ति उस उत्पादन स्टेशन के उन्हीं लाभार्थियों के हिस्से से एकीकृत ऊर्जा प्रभारों को चार्ज करने के लिए की गई है जहाँ एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली संस्थापित है; और
- ग) उत्पादन स्टेशन के एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली की चार्जिंग के लिए प्रयुक्त विद्युत की औसत लागत (नियत प्रभार, ऊर्जा प्रभार और कोई अन्य) यदि ऐसी ऊर्जा की आपूर्ति किसी अन्य उत्पादन स्टेशन से की गई है या खुले बाजार से खरीदी गई विद्युत की बाजार कीमत।"

38. मूल विनियमों के विनियम 63 का संशोधन: मूल विनियमों के विनियम 63 में, शीर्षक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“63. कोयले या लिग्नाइट—आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों के लिए उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के कारण अनुपूरक क्षमता प्रभार की संगणना और भुगतान:”

39. मूल विनियमों के विनियम 64 का संशोधन: मूल विनियमों के विनियम 64 में, शीर्षक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“64. थर्मल उत्पादन स्टेशनों के लिए ऊर्जा प्रभार और कोयले या लिग्नाइट—आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों के लिए उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के कारण अनुपूरक ऊर्जा प्रभार की संगणना और भुगतान:”

40. मूल विनियमों के नए विनियम 64क का अंतर्वेशन: मूल विनियमों के विनियम 64 के बाद, निम्नलिखित नया विनियम 64क अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

“64क. कोयला, लिग्नाइट या गैस—आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों के लिए एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के कारण अनुपूरक क्षमता प्रभार की संगणना और भुगतान:

(1) कोयला, लिग्नाइट या गैस—आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों में संस्थापित एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली की नियत लागत की संगणना इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर वार्षिक आधार पर की जाएगी और नियत भंडारण प्रभार के अधीन प्रत्येक मास में इनकी वसूली की जाएगी। किसी एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए कुल नियत भंडारण प्रभार को उनके लाभार्थियों के साथ उनकी संबंधित प्रतिशतता हिस्से या उस उत्पादन स्टेशन की क्षमता में आबंटन के अनुसार शेयर किया जाएगा जहाँ एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली संस्थापित है।

(2) कैलेंडर माह के लिए कोयले या लिग्नाइट या गैस आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशन को संदेय एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के नियत भंडारण प्रभार को निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार संगणित किया जाएगा:

$$SCC_{ess}(n) = (AFC_{ess}) \times (n/12) \times \frac{(PAF_{ess} M(n)/NAPAF_{ess})}{(12)} \text{ की सीमा के अध्वधीन}$$

$$\{(AFC_{ess}) \times (n/12)\} - \sum_{n=1} SCC(n-1)$$

जहाँ,

$SCC_{ess}(n)$ = नवें माह के लिए एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली का अनुपूरक क्षमता प्रभार।

AFC_{ess} = ईएसएस का वार्षिक नियत लागत।

$PAF_{ess}M(n)$ = नवें माह के अंत तक प्राप्त संयंत्र उपलब्धता घटक।

$NAPAF_{ess}$ = एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता घटक।

(3) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के नियत भंडारण प्रभार के प्रयोजन के लिए माह के मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता घटक को इन विनियमों के विनियम 70क के खण्ड (ड) में यथाविनिर्दिष्ट होगा। पीएफईएसएम(एन) को इन विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (59) के अनुसार किया जाएगा।”

41. मूल विनियम के नए विनियम 64ख का अंतर्वेशन: उपरिलिखित मूल विनियम के नए विनियम 64 और 64क के बाद, एक नया विनियम 64ख शामिल किया जाएगा:—

“64ख. कोयला या लिग्नाइट या गैस आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों के लिए एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के कारण अनुपूरक ऊर्जा प्रभार की संगणना और भुगतान:

- (1) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली का ऊर्जा प्रभार प्रचालन की चार्जिंग के दौरान एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली की चार्जिंग के लिए अपेक्षित ऊर्जा की लागत को कवर करेगा।
- (2) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली की चार्जिंग के लिए प्रयुक्त ऊर्जा संबद्ध उत्पादन स्टेशन से अधिशेष उत्पादन से व्यवस्थित की जाएगी जहां एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली अन्य उत्पादन स्टेशन या निर्बाध बाजार से स्थापित की गई है:

परन्तु कि—

क) उत्पादन यूनिट की न्यूनतम तकनीक को बनाए रखने के लिए उत्पादन कंपनी द्वारा एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उपयोग और लाभार्थियों को सतत आपूर्ति को सुनिश्चित करने को प्राथमिकता होगी;

ख) जहां संबद्ध उत्पादन स्टेशन से अधिशेष ऊर्जा एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली की चार्जिंग के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां अत्यधिक कीफायती वैकल्पिक स्रोत से ऊर्जा की हिताधिकारी द्वारा या लाभार्थियों की ओर से उत्पादन कंपनी द्वारा व्यवस्था की जा सकती है।

- (3) माह के लिए उत्पादन कंपनी को संदेय अनुपूरक ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार होगा:

अनुपूरक ऊर्जा प्रभार (एसईसी(एन)) = (रुपये/किलोवाटघण्टे में एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली की अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर) x {किलोवाटघण्टे में नवें माह के लिए एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली (एक्स-बस) से अनुसूचित ऊर्जा}

- (4) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के कारण अनुपूरक ऊर्जा प्रभार उस स्रोत पर आधारित होगा जहाँ विद्युत निम्नलिखित ढंग से एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली की चार्जिंग के लिए प्राप्त की गई है:

क) संबद्ध उत्पादन स्टेशन से चार्जिंग जिसका टैरिफ आयोग द्वारा अवधारित किया गया है:

$$\begin{aligned} (\text{रुपये/किलोवाटघण्टे में एसईसीआरईएसएस}) &= (\text{रुपये/किलोवाटघण्टे में ईसीआर}) / [\text{अधिकतम} \\ &\quad (\text{मानकीय राउण्ड-ट्रिप कार्यकुशलता} \\ &\quad (\text{आरटीईईएसएस}), \text{ वास्तविक राउण्ड-ट्रिप} \\ &\quad \text{कार्यकुशलता}] \times (1-\text{ईसीईएसएस}) \end{aligned}$$

ख) दूसरे उत्पादन स्टेशन से हिताधिकारियों का आवंटित शेयर जिनका टैरिफ आयोग द्वारा अवधारित किया गया है:

$$\begin{aligned} (\text{रुपये/किलोवाटघण्टे में एसईसीआरईएसएस}) &= (\text{रुपये/किलोवाटघण्टे में ईसीआर}) / \\ &[\text{अधिकतम (मानकीय राउण्ड-ट्रिप कार्यकुशलता (आरटीईईएसएस), वास्तविक राउण्ड-ट्रिप} \\ &\quad \text{कार्यकुशलता)}] \times (1-\text{ईसीईएसएस}) \end{aligned}$$

ग) दूसरे उत्पादन स्टेशन से चार्जिंग जिसका टैरिफ आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है:

$$\begin{aligned} (\text{रुपये/किलोवाटघण्टे में एसईसीआरईएसएस}) &= [(\text{ईसीआर}) + (\text{सीसी})] (\text{रुपये/किलोवाट घण्टे} \\ &\quad \text{में) अधिकतम (मानकीय राउण्ड-ट्रिप कार्यकुशलता} \\ &\quad (\text{आरटीईईएसएस}), \text{ वास्तविक राउण्ड-ट्रिप} \\ &\quad \text{कार्यकुशलता)}] \times (1-\text{ईसीईएसएस}) \end{aligned}$$

घ) निर्बाध बाजार या किसी अन्य स्रोत से विद्युत की प्राप्ति के लिए चार्जिंग:

$$\begin{aligned} (\text{रुपये/किलोवाटघण्टे में एसईसीआरईएसएस}) = & (\text{रुपये/किलोवाटघण्टे में अभिज्ञात टैरिफ}) / \\ & [\text{अधिकतम (मानकीय राउण्ड-ट्रिप कार्यकुशलता} \\ & (\text{आरटीईईएसएस}), \text{ वास्तविक राउण्ड-ट्रिप कार्यकुशलता)} \times \\ & (1-\text{ईसीईएसएस})] \end{aligned}$$

ङ) उच्च फ्रिक्वेंसी प्रचालन के दौरान ग्रिड से विद्युत आहरण से चार्जर:

$$\begin{aligned} (\text{रुपये/किलोवाटघण्टे में एसईसीआरईएसएस}) = & (\text{रुपये/किलोवाटघण्टे में डीएसएम दर}) / \\ & [\text{अधिकतम (मानकीय राउण्ड-ट्रिप कार्यकुशलता} \\ & (\text{आरटीईईएसएस}), \text{ वास्तविक राउण्ड-ट्रिप कार्यकुशलता)} \times \\ & (1-\text{ईसीईएसएस})] \end{aligned}$$

(5) अनुपूरक क्षमता प्रभार और अनुपूरक ऊर्जा प्रभार के अलावा, इन विनियमों के विनियम 70 में यथाविनिर्दिष्ट संचयी आधार पर प्राप्त मानकीय राउण्ड-ट्रिप कार्यकुशलता की तदनुरूपी ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा के अतिरिक्त उन्मोचन के लिए दस पैसे प्रति किलोवाटघण्टे के रूप में उत्पादन स्टेशन या उसके यूनिट को प्रोत्साहन प्रतिदेय होगा।

(6) यदि चार्जिंग के लिए ऊर्जा उनकी लागत पर लाभार्थियों द्वारा व्यवस्था की जाती है तो ऊर्जा प्रभार दर शून्य होगी।”

42. मूल विनियम के विनियम 65 का संशोधन: मूल विनियम के विनियम 65 के खण्ड (7) में:—

i) “टैरिफ अवधि के अंत में टूटिंग अप” शब्दों और पदों को “टैरिफ अवधि के अंत में उत्पादन कंपनी द्वारा दाखिल आवेदन पर टूट अप होने से” शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ii) “प्रत्यक्ष रूप से” शब्द के बाद, “हो सकता है” और “वसूल” शब्द से पूर्व छोड़ दिया जाएगा।

43. मूल विनियम के विनियम 70 का संशोधन: मूल विनियम के विनियम 70 में, निम्नलिखित नया खण्ड (चच) को अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(चच) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए प्रचालन के लिए मानदण्ड : (1) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए प्रचालन के लिए मानदण्ड निम्नानुसार होंगे:-

क) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के मानकीय उपलब्धता घटक (एनएपीएफईएसएस) उत्पादन स्टेशन पर स्थापित एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए 90% होगा;

ख) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली की राउण्ड-ट्रिप कार्यकुशलता (आरटीईईएसएस) उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली पर स्थापित एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए 85% होगी;

ग) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली का सहायक ऊर्जा उपभोग उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली, यथास्थिति, के लिए इनपुट ऊर्जा आपूर्ति का 5% होगा”

44. मूल विनियम के विनियम 74 का संशोधन: मूल विनियम के विनियम 74 में:—

i) मौजूदा खण्ड को (1) क्रमांकित किया जाएगा और "उत्पादन स्टेशन के लिए" शब्दों के बाद, "एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित" शब्दों और पदों को शामिल किया जाएगा।

ii) खण्ड (1) में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु कि "एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली से उन्मोचन का प्रथम अधिकार उस स्थिति को छोड़कर लाभार्थी के पास होगा जब विद्युत प्रणाली के सुरक्षित एवं रक्षित प्रचालन के लिए अपेक्षित होंगे।"

iii) निम्नलिखित नए खण्ड (2) और (3) को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) "एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए चार्जिंग, अनुसूचीकरण और विद्युत एवं ऊर्जा लेखा प्रेषण के लिए क्रियाविधि निम्नलिखित के द्वारा तैयार की जाएगी :

(क) उत्पादन स्टेशन के साथ एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए ग्रिड कोड से सुसंगत लाभार्थियों, संबंधित प्रादेशिक क्रय समिति और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र से परामर्श करते हुए राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र;

(ख) पारेषण प्रणाली के साथ एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए ग्रिड कोड से सुसंगत नामित आईएसटीएस ग्राहकों, संबंधित प्रादेशिक क्रय समिति और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र से परामर्श करते हुए राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र।

(3) उत्पादन स्टेशन के साथ एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के मामले में, अधिशेष स्टोर की गई ऊर्जा सहायक सेवाओं के अंतर्गत उपयोग के लिए राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र को उपलब्ध करवाई जा सकती है। पारेषण प्रणाली के साथ एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्टोर की गई ऊर्जा के मामले में, उपयोग की प्राथमिकता राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा निर्णित की जाएगी।"

45. मूल विनियम के विनियम 78 का संशोधन: मूल विनियम के विनियम 78 में, खण्ड (2) के बाद, निम्नलिखित नए खण्ड (3) और (4) जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

"(3) पारेषण प्रणाली के भाग के रूप में एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के संबंध में इन विनियमों के अंतर्गत अवधारित प्रभारों को शेयरिंग विनियमों के अनुसार लाभार्थियों या दीर्घकालिक ग्राहकों या नामित आईएसटीएस ग्राहकों, यथास्थिति, द्वारा शेयर किया जाएगा:

परन्तु कि उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भंडारण सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त प्राप्तियां पारेषण प्रणाली के वार्षिक पारेषण प्रभारों को कम करने के लिए समायोजित की जाएगी।

(4) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के विनियम 70 में यथाविनिर्दिष्ट वार्षिक आधार पर प्राप्त मानकीय राउण्ड-ट्रिप कार्यकुशलता के तदनुरूपी ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा के अधिक उन्मोचन के लिए दस पैसे प्रतिकिलोवाटघण्टे के राजस्व को रखेगा।"

46. मूल विनियम के नए विनियम 84क का अन्तर्वेशन: मूल विनियम के विनियम 84 के बाद, निम्नलिखित नए विनियम 84क को अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**84क. भंडारण सेवाओं के कारण लाभों की शेयरिंग:** (1) यदि उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, सहायक सेवाओं या निर्बाध बाजार में बिक्री के रूप में अन्य उत्पादन कंपनी, लाभार्थियों या प्रणाली प्रचालक को भंडारण सेवा प्रस्तुत करता है तो निम्नलिखित के कारण लाभ हो सकता है:

क) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के अनुपूरक नियत प्रभारों के लिए अतिरिक्त प्रभारों की प्राप्ति;

ख) अनुपूरक ऊर्जा प्रभारों की तुलना में उच्चतर ऊर्जा प्रभारों की प्राप्ति; या

ग) उक्त दोनों (क) और (ख)

(2) उक्त खण्ड (1) के अंतर्गत प्रोत्साहन को छोड़कर, यदि कोई है, प्राप्ति को —

क) अनुपूरक भंडारण प्रभारों और अनुपूरक ऊर्जा प्रभारों को पहले उत्पादन कंपनी द्वारा विनियुक्त किया जाएगा और नियत लागत को समायोजित करने के बाद निवल लाभ को 1:1 के अनुपात में लाभार्थियों और उत्पादन कंपनी के साथ शेयर किया जाएगा;

ख) पारेषण प्रणाली के वार्षिक पारेषण प्रभारों में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समायोजित किया जाएगा”

47. मूल विनियम के नए विनियम 101क का अंतर्वेशन: मूल विनियम के नए विनियम 101 के बाद, निम्नलिखित नया विनियम 101क को अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्: —

“**101क. विनियामक बालूदानी से संबंधित विशेष उपबंध:** ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और आत्मवलंब के लिए संगत विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवोन्मेष के लिए, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या कंपनी जिनका टैरिफ या इनपुट कीमत इन विनियमों के अधीन अवधारित किया गया है, आयोग के पूर्व अनुमोदन से विद्युत क्षेत्र में नवोन्मेष और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विनियामक बालूदानी में सहभागिता के लिए पात्र होंगे और इस गणना पर अतिरिक्त लागत पर वार्षिक नियत लागत का 1.0% तक या ₹100 करोड़, जो भी कम हो, की अनुमति होगी। आयोग विनियामक बालूदानी के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देश जारी करेगा।”

48. मूल विनियम के परिशिष्ट I का संशोधन: (1) परिशिष्ट I में, मूल विनियम की अवक्षयण अनुसूची, क्रम संख्या ण(iii) के बाद, क्रम संख्या “णण” पर पंक्ति में निम्नलिखित आस्तियों को जोड़ा जाएगा :—

णण	एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली (लिथियम-इयान)	6.33%
----	---	-------

(2) परिशिष्ट-II में, मूल विनियम की अवक्षयण अनुसूची, क्रम संख्या ण(iii) के बाद, क्रम संख्या “णण” पर पंक्ति में निम्नलिखित आस्तियों को जोड़ा जाएगा :—

णण	एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली (लिथियम-इयान)	6.33%
----	---	-------

49. मूल विनियम के परिशिष्ट IV का संशोधन: मूल विनियम के परिशिष्ट-IV में :—

i) खण्ड (2), में निम्नलिखित उपखण्ड (vi)क) और (viii) को अंतर्वेशित किया जाएगा, अर्थात्:—

“**vi)क) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली (“ईएसएस”):** पारेषण प्रणाली या सब-स्टेशन के साथ प्रत्येक एकीकृत ईएसएस पर पृथक घटक के रूप में विचार किया जाएगा।”

viii) दाइरिसटोर नियंत्रित सीरीज रिएक्टर (टीसीएससी) या नियत सीरीज रिएक्टर: प्रत्येक दाइरिसटोर नियंत्रित सीरीज रिएक्टर (टीसीएससी) या नियत सीरीज रिएक्टर पर एक घटक के रूप में विचार किया जाएगा।

ii) खण्ड (3) में, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

क) “+(z X AVz) +(e X AVe)” और “z+e” को क्रमशः गणक और डिनोमीनेटर में जोड़ा जाएगा।

ख) निम्नलिखित निबंधनों को एचवीडीसी प्रणाली के लिए टीएएफएमएन (% में) के फार्मूले से पूर्व जोड़ा जाएगा:

Z	=	टीसीएस या एफएससी की कुल संख्या
AVz	=	टीसीएस या एफएससी के Z संख्या की उपलब्धता
E	=	ईएसएस की कुल संख्या

Ave = ईएसएस के संख्या की उपलब्धता ”

ग) खण्ड (4) में, निम्नलिखित उपखण्डों को जोड़ा जाएगा:

“(ज) टीसीएस/एफएससी के लिए-कुल रेटेड एमवीएआर क्षमता;

(झ) एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए - कुल रेटेड एमवीएआरएच क्षमता”

50. मूल विनियम के परिशिष्ट V का संशोधन: मूल विनियम के परिशिष्ट-V में :—

i) निम्नलिखित फार्मूले को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:—

$$AV_z \text{ (टीसीएस या एफएससी की उपलब्धता)} = \frac{\sum_{a=1}^z Wa(Ta-TNAa)/Ta}{\sum_{a=1}^z Wa}$$

$$Ave \text{ (ईएसएस की कुल संख्या)} = \frac{\sum_{e=1}^z We(Te-TNAe)/Te}{\sum_{e=1}^z We}$$

ii) निम्नलिखित नए निबंधनों का अंतर्वेशन किया जाएगा, अर्थात्:—

$$Wa = a^{\text{th}} \text{ TSC या FSC के लिए भारित घटक}$$

$$We = e^{\text{th}} \text{ ESS के लिए भारित घटक}$$

51. मूल विनियम के अनुबंध-1 में टैरिफ दाखिल करने के फार्मों का संशोधन: मूल विनियम के अनुबंध-1 में —

i) भाग I में, थर्मल उत्पादन स्टेशन के लिए अनुपूरक टैरिफ के अवधारण के लिए टैरिफ दाखिल करने के फार्म में, परिशिष्ट-क में दर्शाये गए संशोधनों को अनुपूरक टैरिफ के अवधारण के लिए टैरिफ दाखिल करने के फार्मों को शामिल किया जाएगा।

- ii) भाग III में, पारेषण प्रणाली के लिए अनुपूरक टैरिफ के अवधारण के लिए टैरिफ दाखिल करने के फार्म में, परिशिष्ट—ख में दर्शाये गए संशोधनों को शामिल किया जाएगा।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./26/2026-27]

नोट: (1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2024 को दिनांक 15 मार्च, 2024 को अधिसूचना सं. एल-1/268/2022/केविआ के माध्यम से और दिनांक 01 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III- खण्ड 4, सं. 468 में प्रकाशित किया गया।

(2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 को दिनांक 04 फरवरी, 2025 को अधिसूचना सं. एल-1/268/2022/केविआ के माध्यम से और दिनांक 11 अप्रैल 2025 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III- खण्ड 4, सं. 293 में प्रकाशित किया गया।

परिशिष्ट-क

टैरिफ, मुख्य टैरिफ फार्म, के अवधारण के लिए टैरिफ दाखिल करने के फार्म (थर्मल) में संशोधनों की सूची
मूल विनियम के अनुबंध- I, भाग I

1. निम्नलिखित पंक्तियों को मूल विनियम के अनुबंध- I (भाग I) के फार्म-1 में जोड़ा जाएगा

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	मौजूदा 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	अनुपूरक टैरिफ का सार (ईएसएस)							
4.1	अवक्षयण	रुपये लाख						
4.2	ऋण पर ब्याज	रुपये लाख						
4.3	इक्विटी पर रिटर्न ¹	रुपये लाख						
4.4	कार्य पूंजी पर ब्याज	रुपये लाख						
4.5	प्रचालन एवं रखरखाव खर्चे	रुपये लाख						
	कुल	रुपये लाख						
4.6	अनुपूरक क्षमता प्रभार (ईएसएस)	रुपये/यूनिट						
5	अनुपूरक ऊर्जा प्रभार और चार्जिंग का स्रोत							
5.1	वही उत्पादन स्टेशन (नाम)	रुपये/यूनिट						
5.2	दूसरा उत्पादन स्टेशन 1 (नाम)	रुपये/यूनिट						
5.3	दूसरा उत्पादन स्टेशन 2 (नाम)	रुपये/यूनिट						
5.4	नवीकरणीय उत्पादन 1 (नाम)	रुपये/यूनिट						
5.5	नवीकरणीय उत्पादन 2 (नाम)	रुपये/यूनिट						

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	मौजूदा 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
	2	3	4	5	6	7	8	9
5.6	निर्बाध बाजार (प्लेटफार्म/व्यापारियों के नाम)	रुपये/यूनिट						
	कुल							

- फार्म-1(I) में, "दावा की गई पूंजी लागत को दर्शाने वाला विवरण-(क+ख)" फार्म के शीर्षक को "उत्पादन स्टेशन की दावा की गई पूंजी लागत, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली या एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली, यथास्थिति-को दर्शाने वाला विवरण-(क+ख)" शब्दों और पदों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।"
- फार्म-1(IIक) में, "सामान्य दर पर इक्विटी पर रिटर्न को दर्शाने वाला विवरण" फार्म के शीर्षक को "उत्पादन स्टेशन की सामान्य दर पर इक्विटी पर रिटर्न, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली या एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली, यथास्थिति-को दर्शाने वाला विवरण-(क+ख)" शब्दों और पदों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।"
- फार्म-1(IIख) में, "सामान्य दर पर इक्विटी पर रिटर्न को दर्शाने वाला विवरण" फार्म के शीर्षक को "उत्पादन स्टेशन की, उत्सर्जन इक्विटी पर रिटर्न, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली या एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली, इक्विटी पर रिटर्न को दर्शाने वाला विवरण यथास्थिति-को दर्शाने वाला विवरण-(क+ख)" शब्दों और पदों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।"
- फार्म-2 में, निम्नलिखित पंक्तियों को सारणी में "एसपीएम नियंत्रण प्रणाली के ब्योरे" के बाद जोड़ा जाएगा।

विवरण	यूनिट -I	यूनिट -II	यूनिट -III		
ईएसएस के प्रकार (एकीकृत)						
ईएसएस तकनीक (ली-इऑन, ओडियम-सल्फर, या लीड-एसिड)						
बैटरी रैक्स की संख्या/ईएसएस का मॉड्यूल						
ईएसएस में बैटरी सैल की संख्या						
बैटरी सैल की वॉल्टेज क्षमता (डीसी वॉल्ट)						
ऑपरेशन मोड (ग्रिड के साथ इंटरफेस प्वाइंट पर द्वि-निदेशकीय या एकदिशीय)						
ईएसएस की रेटेड क्षमता (मेगावाट)						

विवरण	यूनिट -I	यूनिट -II	यूनिट -III		
'ईएसएस की अधिकतम सतत रेटिंग (मेगावाट)						
'ईएसएस की ऊर्जा क्षमता (मेगावाटघण्टे)						
ईएसएस की वॉल्टेज आउटपुट						
एसी						
डीसी						
ईएसएस के पावर घटक						
ईएसएस की राउण्ट-ट्रिप कार्यकुशलता						
ईएसएस की अनुक्रिया समय						
प्रभार की स्थिति (एसओसी)						
ईएसएस का साइकल जीवन						
ईएसएस का सी-रेट						
i) चार्जिंग						
ii) डिसचार्जिंग						
ईएसएस की ब्लैक स्टार्ट क्षमता						
ईएसएस की कार्यकुशलता या उपयोगिता घटक (%)						

6. फार्म-3 में, —

क) "टैरिफ संगणना के लिए विचार किए गए मानकीय पैरामीटर" फार्म के शीर्षक को " टैरिफ की संगणना के लिए मानकीय पैरामीटर, ईसीएस के अनुपूरक टैरिफ या ईएसएस के अनुपूरक टैरिफ, यथास्थिति, की संगणना के लिए विचार किए गए मानकीय पैरामीटर" शब्दों और पदों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

ख) निम्नलिखित पंक्तियों को सारणी में "कोयला या लिग्नाइट या आहरण, यथालागू के पारगमन और संचालन हानियाँ" पंक्ति के बाद जोड़ा जाएगा:

विवरण	यूनिट	मौजूदा 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7	8
राउण्ट-ट्रिप कार्यकुशलता	%						
साइकल प्रतिदिन की संख्या	%						
कुल वार्षिक साइकल							
ईएसएस की उपलब्धता (एनएपीएफ)	%						
ईएसएस का सहायक ऊर्जा उपभोग	%						
उन्मोचन की गहराई (डीओडी)							
ईएसएस का उपयोगी जीवन	वर्ष						

7. फार्म-क में, —

क) "उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली या एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली, यथास्थिति, सहित" शब्दों को "नई परियोजनाओं के लिए पूंजी लागत प्राक्कलनों का सार और आरंभ करने की अनुसूची" फार्म के शीर्षक के अंत में जोड़ा जाएगा।"

8. फार्म-ख में, —

क) "उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली या एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली, यथास्थिति, सहित" शब्दों को शीर्षक के अंत में जोड़ा जाएगा;

ख) निम्नलिखित पंक्तियों को सारणी में "2.5 नियंत्रण एवं साधन (सी एवं आई) पैकेज" पंक्ति के बाद जोड़ा जाएगा:

क्र.सं.	ब्रेक डाउन	निवेश अनुमोदन के अनुसार मूल प्राक्कलन के अनुसार	सीओडी की स्थिति के अनुसार वास्तविक पूंजी व्यय ⁶	देयताएं/ उपबंध	भिन्नता (3 - 4 - 5)	भिन्नता के लिए विनिर्दिष्ट कारण	कट-ऑफ तारीख तक प्राक्कलित पूंजी व्यय
			वास्तविक रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5क	ईएसएस का विनिर्दिष्ट उपकरण						
2.5क.1	बैटरी पैक लागत						
2.5क.2	पावर संपरिवर्तन प्रणाली (पीसीएस)						
2.5क.3	एसी-डीसी / डीसी-डीसी कपलिंग लागत						
2.5क.4	बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस)						
2.5क.5	विनिर्दिष्ट अग्नि सुरक्षा प्रणाली						

9. फार्म-ड में, —

क) "एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली, यथास्थिति, सहित" शब्दों को शीर्षक के अंत में जोड़ा जाएगा;

ख) सारणी में निम्नलिखित पंक्तियों को "कोयला (देसी/आयातित) के प्रकार" पंक्ति के बाद जोड़ा जाएगा:

क्र.सं.	परिवर्ती	(डिजाइन ऑपरेटिंग रेंज) मूल्य
25	बैटरी / मॉड्यूल आपूर्ति	
26	पावर संपरिवर्तन प्रणाली (पीसीएस)	
27	ईएसएस के लिए ऊर्जा प्रबंधन एवं नियंत्रण	

परिशिष्ट-ख

टैरिफ, मुख्य टैरिफ फार्म, के अवधारण के लिए टैरिफ दाखिल करने के फार्म (पारेषण) में संशोधनों की सूची मूल विनियम के अनुबंध- I, भाग III

1 निम्नलिखित पंक्तियों को मूल विनियम के अनुबंध- I, भाग III के फार्म-1 में जोड़ा जाएगा:

क्र.सं.	विवरण	फार्म संख्या	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2028-29
			4	5	6	7	8	9
	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अनुपूरक टैरिफ का सार (ईएसएस)							
2.1	अवक्षयण	रुपये लाख						
2.2	ऋण पर ब्याज	रुपये लाख						
2.3	इक्विटी पर रिटर्न ¹	रुपये लाख						
2.4	कार्य पूंजी पर ब्याज	रुपये लाख						
2.5	प्रचालन एवं रखरखाव खर्चे	रुपये लाख						
	कुल	रुपये लाख						
2.6	अनुपूरक क्षमता प्रभार (ईएसएस)	रुपये प्रति किलोवाटघण्टा						
3	अनुपूरक ऊर्जा प्रभार और चार्जिंग का स्रोत							
3.1	अंतरराज्यिक ग्रिड से आहरण (नाम)	रुपये प्रति किलोवाटघण्टा						
3.2	अंतःराज्यिक ग्रिड से आहरण (नाम)	रुपये प्रति किलोवाटघण्टा						
3.3	उत्पादन स्टेशन 1 से आहरण (नाम)	रुपये प्रति						

सार

तत्कालिक याचिका में कवर की गई ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए प्रचालन एवं रखरखाव खर्च	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
मूल परियोजना लागत/ ईएसएस से संबद्ध आस्ति					
विनियमों के अनुसार प्रचालन एवं रखरखाव खर्च (मूल परियोजना लागत का 2%)					
वास्तविक प्रचालन एवं रखरखाव खर्चा (लाख रुपये में)*					

संयंत्र विशेषताएं

विवरण	एस/एस I	एस/एस -II	एस/एस -III		
ईएसएस के प्रकार (एकीकृत)						
ईएसएस तकनीक (ली-इऑन, ओडियम-सल्फर, या लीड-एसिड)						
बैटरी रैक्स की संख्या/ईएसएस का मॉड्यूल						
ईएसएस में बैटरी सैल की संख्या						
बैटरी सैल की वॉल्टेज क्षमता (डीसी वॉल्ट)						
ऑपरेशन मोड (ग्रिड के साथ इंटरफेस प्वाइंट पर द्वि-निदेशकीय या एकदिशीय)						
रेटेड क्षमता (मेगावाट)						
ईएसएस की अधिकतम सतत रेटिंग (मेगावाट)						
ऊर्जा क्षमता (मेगावाटघण्टे)						
वॉल्टेज आउटपुट						
	एसी					
	डीसी					
पावर घटक						
राउण्ट-ट्रिप कार्यकुशलता						
अनुक्रिया समय						

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2026

F. No. L-1/268/2022/CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Section 61 thereof and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2024, as amended from time to time, (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”) namely:-

1. Short Title and Commencement.

1.1. These Regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Second Amendment) Regulations, 2026.

1.2. These Regulations shall come into force with effect from the date of notification of these Regulations in the Official Gazette, except for amendments in Regulations 51 and 52 of these Regulations.

1.3. The amendments in Regulations 51 and 52 shall be applicable from 1.4.2024.

2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations: In Regulation 2 of the Principal Regulations, after clause (2), the following new clause (2a) shall be inserted, namely:—

“(2a) These regulations shall also apply in all cases where the coal or lignite or gas-based thermal generating station or inter-state transmission system, installs for storage and supply of electricity from the integrated energy storage system, for the use of the beneficiaries or the designated ISTS customers, as the case may be, whose tariff is required to be determined by the Commission under section 62 of the Act read with section 79 thereof.”

3. Amendment to Regulation 3 of the Principal Regulations:—

i) In clause (24), the words “and integrated energy storage system” shall be inserted after the words “Interconnecting Transformers” and before the words “which can be put to use”;

ii) In clause (62), —

a) in sub-clause (i), the words “integrated energy storage system,” shall be inserted after the words “biomass pellet handling system” and before the words “pollution control system”;

b) in sub-clause (iii), the words “and integrated energy storage system,” shall be inserted after the words “communication system” at the end of the clause”;

iii) In clause (70), the words “integrated energy storage system” shall be inserted after the words “associated communication system”;

- iv) In clause (82), the words “and integrated energy storage system” shall be inserted after the words “associated communication system” at the end of the clause;
- v) In clause (87), after sub-clause (i), the following sub-clause (j) shall be inserted, namely:—
- “(j) Lithium-ion battery energy storage system 15 years”

Provided that the useful life of the energy storage system of the new technology will be specified separately.”

4. Insertion of new Regulation 3A to the Principal Regulations: After Regulation 3 of the Principal Regulations, a new Regulation 3A shall be inserted, namely:—

“3A. Additional Definitions: In these Regulations, unless the context otherwise requires, the following definitions shall be used in respect of the integrated energy storage system:-

(1) **'Auxiliary energy consumption for integrated energy storage system' or 'AUX(ess)'** means the quantum of energy consumed by auxiliary equipment of the integrated energy storage system of the thermal generating station or transmission system in addition to the auxiliary energy consumption under clauses (7) and (8) of Regulation 3 of the Principal Regulations:

Provided that the auxiliary energy consumption of the integrated energy storage system shall be measured separately for energy accounting.

(2) **'Battery cell'** means the electrochemical device of the battery energy storage system that stores electrical energy in chemical energy and converts chemical energy into electrical energy, which consists of a positive (cathode) and a negative (anode) electrode with the capability to generate electricity.

(3) **'Battery cycle'** in respect of a battery energy storage system means the charging of the battery from the depth of discharge to its maximum rating and discharging to its minimum specified rating equivalent to the depth of discharge to complete one cycle of a battery energy storage system:

Provided “Depth of Discharge (DoD)” means the level to which a battery can be discharged relative to the maximum possible amount of energy that can be discharged by the battery in a single operational cycle, expressed as a percentage.

(4) **'C-rate – charge or discharge rate'** means the rate of discharge from or charging of the battery energy storage system, relative to its total capacity per hour and is expressed in terms of one-hour discharge as a fraction of C-rate.

(5) **'Date of commercial operation of the integrated energy storage system' or 'COD(ess)'** in relation to the energy storage system shall have the same meaning as specified in Chapter 5 of the Grid Code-

(6) **'Declared capacity of Integrated Energy Storage System' or 'DC(ess)'** in relation to an integrated energy storage system integrated with the generating station or transmission system means, the capability to deliver ex-bus electricity in MW and MWh declared by such generating company or transmission licensee, during the day, duly taking into account the stored electricity after successful charging, and subject to further qualification in these Regulations.

(7) **'Energy storage system' or 'ESS'** shall have the same meaning as specified in clause (46) of Regulation 3 of Grid Code.

(8) **'Integrated energy storage system'** means the energy storage system co-located with the generating station or the transmission system, as the case may be, connected to a common bus-bar through the electrical system of existing generating station or the transmission system, as the case may be, , and for the purpose, including safe and reliable operation of the grid or for deferring the transmission investment and for enhancing the flexible operation of the generating station, as the case may be, as per the requirement of the National Load Despatch Centre or beneficiaries or the designated ISTS customers, as the case may be.

(9) **'Maximum continuous rating of integrated energy storage system'** or **'MCR(ess)'** means the maximum continuous amount of power (in MW) during discharge of integrated energy storage system guaranteed by the manufacturer at rated parameters for the specific period (in hours),

(10) **'Plant Availability Factor of energy storage system'** or **'PAF(ess)'** in relation to an integrated energy storage system with generating station for any period means the average of the daily declared capacities during peak hours (DCs) for all the days during the period expressed as a percentage of the rated capacity in MW less the auxiliary energy consumption as per these regulations;

(11) **'Rated capacity'** in respect of an integrated energy storage system means the total amount of energy that can be stored in the integrated energy storage system as per the specifications of the original equipment manufacturer, expressed in terms of kilowatt-hours (kWh) or megawatt-hours (MWh), duly adjusted by annual degradation of 2.0% which shall be reviewed within a period of three years.

(12) **'Round trip efficiency of integrated energy storage system'** or **'RTE(ess)'** in relation to a period means the quantum of energy delivered by the integrated energy storage system of the generating station or the transmission system as a percentage of the energy supplied for charging the integrated energy storage system which shall be higher of 85% or actual during the month.

(13) **'State of charge'** in respect of the energy integrated storage system means the amount of the charge an integrated energy storage system has available for the supply of electricity at a given time and is expressed in percentage capacity with reference to its rated capacity.”

5. Amendment to Regulation 5 of the Principal Regulations: In Regulation 5 of the Principal Regulations, the following new clause (3) shall be inserted, namely:—

“(3) The date of commercial operation of, whole or part capacity or phase-wise, the integrated energy storage system installed with the generating station or the transmission system shall be determined in accordance with the provisions of the Grid Code. .”

6. Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations: In Regulation 8 of the Principal Regulations:—

i) In clause (1),—

a) the words “generating station and emission control system” shall be substituted for the words “generating station, emission control system and integrated energy storage system”:

- b) the words “and integrated energy storage system, wherever applicable,” shall be inserted after the words “a transmission system” and before the words “may be determined”:
- c) the words “or integrated energy storage system” shall be inserted after the words “associated communication system”:
- d) after proviso (iii), the following proviso (iv) shall be inserted, namely: —

“The generating company or transmission licensee shall apply for the determination of a supplementary tariff for an integrated energy storage system installed in a coal, lignite or gas-based thermal generating station or transmission system, as the case may be, in accordance with these Regulations, not later than 90 days from the date of commercial operation of such integrated energy storage system.”

- ii) After clause (5), the following clause (5a) shall be inserted, namely: —

“(5a) Supplementary energy charge of the integrated energy storage system shall be computed based on the energy charge rate of the electricity sourced from the associated generating station or the tariff of the electricity procured for charging the integrated energy storage system based on sources other than the associated generating station, as the case may be, adjusted for the round-trip efficiency and auxiliary energy consumption of the integrated energy storage system.”

7. Amendment to Regulation 9 of the Principal Regulations: In Regulation 9:—

- i) After clause (3), a new clause (3a) shall be inserted, namely:—

“(3a) In case an integrated energy storage system is installed with the generating station or unit thereof, transmission system or its sub-station, an application shall be made for the determination of supplementary tariff (fixed storage charges with or without variable energy charges) based on the actual capital expenditure duly certified by the Auditor.”

- ii) In the fourth proviso to clause (1), after the words, “or element thereof”, and before the words, “the applicant, through a specific prayer”, the following words shall be added — “or new energy storage system integrated with the generating unit or the transmission system”.
- iii) After clause (4), a new clause (4a) shall be inserted, namely:—

“(4a) Where the generating company or the transmission licensee has installed an integrated energy storage system at its generating stations or the transmission system, as the case may be, the generating company or the transmission licensee shall file a petition for determination of the supplementary tariff of integrated energy storage system, not later than 90 days from date of commercial operation of the integrated energy storage system in accordance with the provision of these Regulations.”

8. Amendment to Regulation 10 of the Principal Regulations: In Regulation 10 :—

- i) In clause (1), after the words “for an integrated mine” and before the words “or the transmission licensee”, the words “or an integrated energy storage system” shall be inserted.

ii) After clause (1), the following explanation shall be added:-

“Explanation: The tariff filing forms specified in Annexure-I shall be used for filing an application for the determination of supplementary tariff separately, after suitable modification wherever required.”

9. Amendment to Regulation 11 of the Principal Regulations: In Regulation 11 of the Principal Regulations: —

i) The existing clause shall be numbered (1).

ii) In clause (1) of Regulation 11 of the Principal Regulations, after the words “or for an integrated mine” and before the words “or the transmission licensee”, the words “or integrated energy storage system” shall be inserted.

iii) In clause (1) of Regulation 11 of the Principal Regulations, after the words “or the transmission licensee” and before the words “undertaking any additional capitalization”, the words “ for the transmission system or associated integrated energy storage system” shall be inserted.

iv) After clause (1), the following new clause (2) shall be inserted, namely: —

“(2) The generating company or the transmission licensee, undertaking any additional capitalization on account of integrated energy storage system, for a generating station or a sub-station, as the case may be, shall file a petition for in-principle approval for incurring such expenditure after prior notice to the beneficiaries or the long-term customers, as the case may be, along with underlying assumptions, estimates and justification for such expenditure.”

10. Amendment to Regulation 13 of the Principal Regulations: In Regulation 13 of the Principal Regulations: —

i) In sub-clause (c) of clause (1), after the words “emission control system” and before the words “as admitted by the Commission”, the words “, or the integrated energy storage system” shall be inserted.

ii) In clause (3), after the words “transmission system or an element thereof”, the words “, or the integrated energy storage system, as the case may be, ” shall be inserted.

11. Amendment to Regulation 14 of the Principal Regulations: In Regulation 14 of the Principal Regulations, a new clause shall be inserted, namely: —

“(6) The supplementary tariff consisting of supplementary fixed storage charges and supplementary energy charges, on account of the installation of an integrated energy storage system in the generating station or transmission system, as the case may be, shall be determined by the Commission separately.”

12. Amendment to Regulation 15 of the Principal Regulations: In Regulation 15 of the Principal Regulations, after clause (2), the following new clause (2a) shall be inserted, namely:—

“(2a) **Supplementary capacity charges of energy storage system or supplementary fixed storage charges:** Supplementary capacity charges of the integrated

energy storage system shall be derived based on the Annual Fixed Cost of energy storage system (AFCess). The Annual Fixed Cost for the integrated energy storage system shall consist of the components as listed in sub-clauses (a) to (e) of clause (1) of this Regulation.”

13. Amendment to Regulation 16 of the Principal Regulations: In Regulation 16 of the Principal Regulations: —

- i)* The existing clause shall be numbered clause (1),
- ii)* After clause (1), the following new clause (2) shall be inserted, namely: —

“(2) The supplementary energy charges of the integrated energy storage system installed in a generating station or transmission system, as the case may be, shall consist of the cost of the electricity sourced, after adjustment of round-trip efficiency and auxiliary energy consumption of the energy storage system, as under:

- a)* Energy charges of the generating station if it is sourced from the same generating station; or
- b)* Energy charges of the other generating station if it is sourced from the share of the common beneficiaries after adjustment of transmission losses; or
- c)* Cost of electricity procured at the metering point of the generating station derived based on the approved tariff applicable at the generating station or at the competitive rate from the open market.”

14. Amendment to Regulation 18 of the Principal Regulations: In Regulation 18 of the Principal Regulations, after clause 6, a new clause (7) shall be inserted, namely: —

“(7) Any expenditure incurred for the energy storage system during the tariff period, as may be admitted by the Commission as additional capital expenditure of the generating station or transmission system for the determination of supplementary tariff, shall be serviced in the manner specified in clause (1) of this Regulation.”

15. Amendment to Regulation 19 of the Principal Regulations: In Regulation 19 of the Principal Regulations, —

- i)* In clause (1), after the words “the generating station or the transmission system”, the words “including integrated energy storage system” shall be inserted.”
- ii)* In clause (2), after the sub-clause (p), a new sub-clause shall be added as under:

“(q) Expenditure incurred or projected to be incurred, on account of the integrated energy storage system.”
- iii)* In clause (3), after the sub-clause (i), a new sub-clause shall be added as under:

“(j) Expenditure incurred or projected to be incurred, on account of the integrated energy storage system.”

16. Amendment to Regulation 23 of the Principal Regulations: In Regulation 23 of the Principal Regulations, —

i) after clause (vi), following new clause (vii) shall be added, namely :—

“(vii) integrated energy storage system - 4.00%”

ii) in the proviso, after clause (iv), following new clause (v) shall be inserted, namely: —

“v. where the integrated energy storage system is installed in the generating station or the transmission system, initial spares specified in this regulation is in addition to the initial spares allowed for original project and generating company or the transmission licensee shall maintain its expenditure separately.”

17. Amendment to Regulation 24 of the Principal Regulations: In clause (1) of Regulation 24 of the Principal Regulations, after the words “an existing project” and before the words “incurred or projected to be incurred”, the words “including integrated energy storage system” shall be inserted.

18. Amendment to Regulation 25 of the Principal Regulations: In clause (1) of Regulation 25 of the Principal Regulations, after the words “a new project” and before the words “on the following counts”, the words “including integrated energy storage system” shall be inserted.

19. Amendment to Regulation 26 of the Principal Regulations: In clause (1) of Regulation 26 of the Principal Regulations, after the words “the communication system” and before the words “incurred or projected to be incurred”, the words “the integrated energy storage system” shall be inserted.

20. Amendment to Regulation 27 of the Principal Regulations: In clause (1) of Regulation 27 of the Principal Regulations, the words “or the transmission licensee” shall be deleted.

21. Insertion of New Regulations 29A and 29B of the Principal Regulations: After Regulation 29 of the Principal Regulations, a new Regulation 29A shall be inserted, namely:—

“29A. Additional Capitalization on account of an integrated energy storage system with the generating station: (1) A generating company required to incur additional capital expenditure in the existing generating station for an integrated energy storage system shall share its proposal with the beneficiaries for their consideration, and seek response within 30 days. The generating company shall, thereafter, file a petition for in-principle approval of the integrated energy storage system in the planning stage along with the response of the beneficiaries, except those covered under the viability gap funding scheme. For the integrated energy storage system covered under the viability gap funding scheme, the generating company shall file the petition for approval at the subsequent stage, within six months from the notification of these regulations.

(2) The proposal under clause (1) above shall contain details of the proposed technology, scope of the work, phasing of expenditure, schedule of completion, estimated completion cost including interest during construction, foreign exchange component, if any, detailed computation of indicative impact on tariff to the beneficiaries, cost-benefit analysis and any other information considered to be relevant by the generating company.

(3) Where the generating company makes an application for approval of additional capital expenditure for installation of integrated energy storage system, the Commission may grant in-principle approval after due consideration of the reasonableness of the cost estimates,

financing plan, schedule of completion, interest during construction, use of efficient technology, cost-benefit analysis, and such other factors as may be considered relevant by the Commission.

(4) After completion of the implementation of the integrated energy storage system, the generating company shall file a petition for the determination of a supplementary tariff for the integrated energy storage system. Any expenditure incurred or projected to be incurred and admitted by the Commission after a prudence check based on the reasonableness of the cost shall form the basis of the determination of the tariff.

(5) Un-discharged liability, if any, on account of the integrated energy storage system shall be allowed as additional capital expenditure during the year it is discharged, subject to prudence check.”

“29B. Additional Capitalization on account of integrated energy storage system with the transmission system : (1) A transmission licensee required to incur additional capital expenditure in the existing transmission system for an integrated energy storage system shall share its proposal with all long-term transmission customers or the Designated ISTS Customers of the region, concerned Regional Power Committee, Central Transmission Utility, and the concerned Regional Load Despatch Centre, for their consideration and seek response within 30 days.

(2) Where the integrated energy storage system is to be installed with the existing transmission system, the concerned transmission licensee shall forward a copy of the proposal to all long-term transmission customers or the Designated ISTS Customer of the region, as may be applicable, and file a petition for in-principle approval in the planning stage along with the response of long-term transmission customers or the Designated ISTS Customers, except those covered under the viability gap funding scheme. For the integrated energy storage system covered under the viability gap funding scheme, the transmission licensee shall file the petition for approval at the subsequent stage, within six months from the notification of these regulations.

(3) The transmission licensee shall obtain the concurrence for each integrated energy storage system with the transmission system from the Central Transmission Utility, National Load Despatch Centre and the concerned Regional Load Despatch Centre for submission to the Commission.

(4) The proposal under clauses (1) and (2) above shall contain details of the proposed technology, scope of the work, phasing of expenditure, schedule of completion, estimated completion cost including interest during construction, foreign exchange component, purpose of investment whether for increasing grid reliability or transmission deferral, if any, detailed computation of indicative impact on tariff to the beneficiaries, cost-benefit analysis and any other information considered to be relevant by the transmission licensee, as the case may be.

(5) Where the transmission licensee makes an application for approval of additional capital expenditure for the installation of an integrated energy storage system, the Commission may approve by considering the following:

- a) The integrated energy storage system for exclusive use of strengthening reliability of the grid operation or deferring investment of the transmission system or efficient operation of the power system, where the cost will be recovered through Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of transmission charges) Regulations, 2020;

Provided that where the integrated energy storage system is to be installed to provide storage services as other businesses, the same will be governed through the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Revenue Derived from Utilization of Transmission Assets for Other Business) Regulations, 2020;

- b) The integrated energy storage system may be partly used for reliability of the grid operation or deferring investment as per clause (a) above or any other purpose as may be approved by the Commission.

(6) After completion of the implementation of the integrated energy storage system, the transmission licensee shall file a petition for the determination of a supplementary tariff for the integrated energy storage system. Any expenditure incurred or projected to be incurred and admitted by the Commission after a prudence check based on the reasonableness of the cost shall form the basis of the determination of the tariff.

(7) Un-discharged liability, if any, on account of the integrated energy storage system shall be allowed as additional capital expenditure during the year it is discharged, subject to prudence check.”

22. Amendment to Regulation 30 of the Principal Regulations:

- i) In para (iii) of the second proviso to clause (3) of Regulation 30 of the Principal Regulations, a new clause (c) shall be inserted, namely:—

“c) measurement of ramp rate, for the purpose of this Regulation, is to be decided by the National Load Dispatch Centre by issuing suitable guidelines, in consultation with the stakeholders, for measurement by considering the energy measurement at a suitable interval.”

- ii) After clause (3) of Regulation 30 of the Principal Regulations, a new clause (4) shall be inserted, namely:—

“(4) Return on equity for an integrated energy storage system installed as additional capitalization with the existing generating station or the transmission system, as the case may be, shall be computed at the base rate of 14.00%.”

23. Amendment of Regulation 32 of the Principal Regulations: The following fifth proviso shall be inserted in clause (5) of Regulation 32 of the Principal Regulations, namely:

“Provided also that if the generating company or the transmission licensee, as the case may be, has availed a part or entire loan, during construction period or operation period, from a related party at a rate of interest higher than the rate of interest charged by recognised financial or lending institutions not classified as related party, the rate of interest shall be —

- a) the weighted average rate of interest calculated based on the existing loan portfolio, excluding part of the loan availed from a related party; or
- b) lower of actual or 1-year SBI MCLR plus 205 basis points, where the entire loan is availed from a related party; and
- c) reduced by restructuring or re-financing the loan within a period of one year from the date of commercial operation for the new project or from the date of notification of this regulation for the existing project.

Clarification: (1) The meaning of related party will be considered as per sub-section 76 of Section 2 of the Companies Act, 2013. (2) The recognised financial or lending institutions means scheduled commercial banks, all-India financial institutions regulated by the Reserve Bank of India, and Government-owned Non-Banking Financial Companies.”

24. Amendment to Regulation 33 of the Principal Regulations: In Regulation 33 of the Principal Regulations, a new clause (13) shall be inserted, namely:—

“(13) The depreciation of the integrated energy storage system installed with the generating station or the transmission system shall be recovered in the following manner:-

- a) If the integrated energy storage is implemented within the original scope of the generating station or the transmission system, the depreciation of the generating station or unit thereof or the transmission system, including the integrated energy storage system, shall be computed in accordance with Clauses (1) to (9) of this Regulation.
- b) If an existing generating station or transmission system in which the integrated energy storage system is installed is yet to complete its useful life, the depreciation shall be computed annually from the date of operation of the integrated energy storage system based on the straight-line method at rates specified in Appendix-I to these regulations:

Provided that the unrecovered depreciation as on 31st March of the year closing after a period of 12 years from the date of operation of such integrated energy storage system shall be spread over the lower of the balance useful life of the integrated energy storage system or balance operational life of the generating station or the transmission system, as the case may be, which shall not be less than 10 years.

25. Amendment to Regulation 34 of the Principal Regulations: In clause (1) of Regulation 34 of the Principal Regulations, a new clause (e) shall be inserted, namely:—

“(e) For an integrated energy storage system of coal, lignite or gas-based thermal generating stations or the transmission system:-

- (i) Receivables equivalent to 45 days of the supplementary tariff of an integrated energy storage system;
- (ii) Maintenance spares at 10% of operation and maintenance expenses and
- (iii) Operation and maintenance expenses for one month.”

26. Amendment to Regulation 36 of the Principal Regulations: In Regulation 36 of the Principal Regulations:—

- i)* In first proviso to sub-clause (6) of the clause (1), after the words, “water charges shall be allowed” the words “to be recovered on monthly basis from the beneficiaries on submission of Auditor certificate,” shall be inserted.
- ii)* In second proviso to sub-clause (6) of the clause (1), after the words, “generating station” and before the words “shall submit”, the words, “shall be allowed to recover security expenses on monthly basis on submission of the Auditor certificate and ,” shall be inserted.
- iii)* In sub-clause (6) of the clause (1), following fourth proviso shall be inserted after the third proviso, namely:—

“Provided further that the Ash Transportation Expenses incurred by the thermal generating stations toward supply of ash, for the purpose of infrastructure or works owned by the Central Government, State Government or their entities, limited to construction of road, flyover embankments, shoreline protection structures in coastal districts, dams, or filling of the mine void, shall be allowed to be recovered from the beneficiaries on a monthly basis after adjustment of revenue generated, subject to the following conditions:-

- a) submission of the Auditor Certificate towards monthly expenditure towards ash transportation expenses, and a certificate of delivery from the users of ash;
- b) award of ash transportation contract through transparent competitive bidding;
- c) the monthly ash transportation expenses allowed shall be subject to true-up at the end of the tariff period;
- d) surplus revenue after adjustment of ash transportation expenses shall be treated as Non-tariff income; and
- e) the disposal of ash by coal and lignite based thermal generating station shall be as per the guidelines dated 30th January, 2026 issued by the Ministry of Power, as amended from time to time;
- f) the mechanism of monthly recovery specified in this clause shall not apply for the supply of ash for the purposes not specified in this clause such as filling of low lying area, cement industries and for eco-friendly purposes in line with notification dated 31st December, 2021, as amended time to time, of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, but same shall be considered, on case to case basis, in accordance with the applicable regulations. ”

- iv) In sub-clause (a) of clause (2), after the words “shall be fixed at” and before the words “of the original project cost”, the words and expressions “3.5% and 5.0%” shall be substituted by “3.0% and 4.5%”.
- v) In sub-clause (a) of clause (3), after the fourth proviso, a new fifth proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the O&M expenses of the transmission system of Bhakra Beas Management Board shall be allowed based on past year data on a case-by-case basis at the time of the determination of tariff.”

- vi) After clause (3), the following new clause (4) shall be inserted, namely:—

“(4) **Integrated Energy storage system:** The operation and maintenance expenses on account of integrated energy storage systems in coal, lignite or gas-based thermal generating stations or the transmission system, as the case may be, shall be 2.0% of the admitted capital expenditure (excluding IDC and IEDC) as on the date of commercial operation, which shall be escalated annually @ 5.25% during the first two years of operation;

Provided that the generating company or the transmission licensee, as the case may be, shall file the details of the operation and maintenance expenses for each financial year for consideration of the Commission and wherever required, the Commission may revise the operation & maintenance expenses through separate order

either by its own motion or application filed by the generating company or the transmission licensee, as the case may be.”

27. Amendment to Regulation 37 of the Principal Regulations: In Regulation 37 of the Principal Regulations, proviso to clause (3) shall be substituted by the following, namely:—

“Provided that the generating company may request an interim input price of new integrated mine in its petition, which may be allowed by the Commission up to 90% of the claimed input price after the first hearing of the application;

Provided further that the difference between the input price of lignite determined under these regulations and the input price of lignite either adopted by the generating company in terms of this sub-regulation or the interim input price allowed by the Commission under the first proviso to this sub-regulation shall be recoverable or payable in accordance with sub-regulation (4) of this Regulation.”

28. Amendment to Regulation 39 of the Principal Regulations: In Regulation 39 of the Principal Regulations:—

i) In clause (1), the words “Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015”, shall be substituted by the words and expressions “Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 or any other applicable Act”.

ii) In clause (2), the words “Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015”, shall be substituted by the words and expressions “Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 or any other applicable Act”.

iii) New clause (4A) shall be inserted, namely:—

“(4A) No incentive shall be payable to the generating company for the production of coal exceeding ATQ, up to 100% of the quantity specified in the Mining Plan:

Provided that if the actual production of coal or lignite, as the case may be, from the integrated mine exceeds 100% of the quantity specified in the Mining Plan, the generating company shall retain fifty percent of the savings on achieving higher efficiency worked out by the following formulae:-

$$\text{Sharing of gains} = 1/2 \times \text{Savings} \times \text{Additional deliveries}$$

$$\text{Savings} = [\text{ROM Cost (Annual quantity of coal or lignite as specified in the mining plan)} - \text{ROM Cost (Actual production)}]$$

Where,

- i)* ROM Cost (Actual production) is the ROM cost in Rs per Tonne of coal or lignite worked out as per the sub-regulation (2) and (3) of this Regulation by considering the actual quantity of coal or lignite specified in the mining plan and the actual annual extraction cost;
- ii)* ROM Cost (100% quantity of coal lignite specified in the mining plan) is the ROM cost in Rs per Tonne of coal or lignite worked out as per the sub-regulation (2) and (3) of this Regulation by considering 100% quantity of coal or lignite specified in the mining plan and actual extraction cost;

iii) Additional deliveries are the quantity of coal delivered to the associated generating station beyond 100% quantity of coal or lignite specified in the mining plan.”

iv) In clause (5), after the words “terms of Rupees per tonne” at the end of sentence, the words and expressions “on a monthly basis based on ATQ which shall be reconciled at the end of the year based on actual production from the integrated mine, and the differential amount shall be adjusted in the six-monthly instalments” shall be inserted.

29. Amendment to Regulation 41 of the Principal Regulations: In clause (3) of Regulation 41 of the Principal Regulations, after the second proviso, the following third proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the expenditure incurred for development of an integrated mine, with the approval of the Board of the generating company before the issue of the Investment Approval, shall also form part of the capital cost, and IDC and IEDC shall be considered in the manner as specified under Regulation 21 of these Regulations.”

30. Amendment to Regulation 42 of the Principal Regulations: In Regulation 42 of the Principal Regulations:—

- i) in clause (1), after the words “as per the Mining Plan”, the words “or as per the investment approval by the Board;” shall be inserted.
- ii) in sub-clause (a) of clause (1), after the words “as per the Mining Plan”, the words “or as per the investment approval or additional capital expenditure approved by the Board;” shall be inserted.
- iii) in sub-clause (a) of clause (2), after the words “as per the Mining Plan”, the words “or as per the investment approval or additional capital expenditure approved by the Board” shall be inserted.

31. Amendment to Regulation 45 of the Principal Regulations: In Regulation 45 of the Principal Regulations:—

- i) in proviso (ii) of clause (2), the word “and” between the “freehold land is conditional” and “is required to be returned” shall be substituted by the words “or”.
- ii) in proviso (ii) of clause (2), after the words “prudence check by the Commission” and before the words “; and”, the words “and the net realisable value of the said land after the operational life of the mine or in case of alternate use, the deemed cost of the land, if any, shall be fully shared with the beneficiaries” shall be inserted.

32. Amendment to Regulation 50 of the Principal Regulations: In Regulation 50 of the Principal Regulations:—

- i) in clause (2), after the words “the commensurate grade of coal”, the words “or price of alternative coal, as the case may be” shall be inserted.
- ii) a new clause (3) shall be inserted, namely:—

“(3) In case of an integrated mine of lignite, the actual production is reduced below ATQ attributed to the low scheduled generation from beneficiaries (including

scheduling to another beneficiary or open market), the generating company shall recover the fixed components of annual extraction cost of unutilized lignite, after duly subtracting the lignite sold in the open market, on a case-by-case basis;

33. Amendment to Regulation 51 of the Principal Regulations: In Regulation 51 of the Principal Regulations: —

- i)* in sub-clause (a) of clause (3), the words “If Mine Developer and Operator is appointed” shall be substituted by the words “If OB adjustment is not factored in the mining charge of the Mine Developer and Operator contract”
- ii)* in para (iii) in sub-clause (b) of clause (3), the words “without” in the words and expressions “without the OB adjustment as per contract” shall be substituted by the words “with”.
- iii)* para (vi) in sub-clause (b) of clause (3) shall be deleted.”

34. Amendment to Regulation 52 of the Principal Regulations: In Regulation 52 of the Principal Regulations:—

- i)* in sub-clause (b) of clause (2), the formula of GCV adjustment shall be substituted by the following, namely:—

“If GCV adjustment or the adjustment of parameters defining the GCV of coal, is not factored into the mining charge of the Mine Developer and Operator contract:

$$\text{GCV Adjustment} = [(\text{Mining Charge})] \times [(\text{Declared GCV of coal} - \text{Weighted Average GCV of coal extracted in the year}) / (\text{Declared GCV of coal})]$$

If the Mine Developer and Operator is not appointed:

$$\text{GCV Adjustment} = [(\text{Operation \& Maintenance expenses of the mining activity} / \text{ATQ})] \times [(\text{Declared GCV of coal} - \text{Weighted Average GCV of coal extracted in the year}) / (\text{Declared GCV of coal})]”$$

35. Amendment to Regulation 53 of the Principal Regulations: In Regulation 53 of the Principal Regulations, in clause (1) the words “Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015”, shall be substituted by the words and expressions “Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 or any other applicable Act”.

36. Amendment to Regulation 57 of the Principal Regulations: In Regulation 57 of the Principal Regulations, the existing clause shall be numbered (1) and thereafter, a new clause (2) shall be inserted: —

“(2) The Supplementary Energy Charges on account of the integrated energy storage system shall comprise the energy charges of the electricity sourced from the same generating station as approved by the Commission, or the cost of the electricity sourced from other generating stations as determined or adopted by the Commission, or the least cost of electricity procured at the competitive rate from the open market.”

37. Amendment to Regulation 61 of the Principal Regulations: After Regulation 61 of the Principal Regulations, the following Regulation 61A shall be inserted, namely:—

“(61A) Aggregate cost of Electricity used for charging integrated energy storage system: The cost of electricity for an integrated energy storage system for supplementary energy charges shall be the:

- a) Energy charges of the generating station if such energy is sourced from the surplus generation of the same generating station;
- b) Energy charges of such other generating station from where the energy is sourced for charging the integrated energy storage system from the share of the same beneficiaries of the generating station where the integrated energy storage system is installed; and
- c) Aggregate cost of electricity (fixed charges, energy charges and any other) used for charging of the integrated energy storage system of the generating station if such energy is sourced from another generating station or the market price of electricity procured from the open market.”

38. Amendment to Regulation 63 of the Principal Regulations: In Regulation 63 of the Principal Regulations, the heading shall be substituted by the following, namely:—

“63. Computation and Payment of Supplementary Capacity Charge on account of emission control system for Coal or Lignite-based Thermal Generating Stations:”

39. Amendment to Regulation 64 of the Principal Regulations: In Regulation 64 of the Principal Regulations, the heading shall be substituted by the following, namely:—

“64. Computation and Payment of Energy Charge for Thermal Generating Stations and Supplementary Energy Charge on account of emission control system for Coal or Lignite-based Thermal Generating Stations:”

40. Insertion of New Regulation 64A of the Principal Regulations: After Regulation 64 of the Principal Regulations, the following new Regulation 64A shall be inserted, namely:—

“64A. Computation and Payment of Supplementary Capacity Charge on account of integrated energy storage system for Coal, Lignite or Gas-based Thermal Generating Stations:

- (1) The fixed cost of the integrated energy storage system installed in coal, lignite or gas-based thermal generating stations shall be computed on an annual basis based on the norms specified under these Regulations and recovered every month under a fixed storage charge. The total fixed storage charge for an integrated energy storage system shall be shared by its beneficiaries as per their respective percentage share or allocation in the capacity of the generating station where the integrated energy storage system is installed.
- (2) The fixed storage charge of the integrated energy storage system payable to a coal or lignite or gas-based thermal generating station for a calendar month shall be calculated in accordance with the following formulae:

$$SCC_{\text{ess}}(n) = (AFC_{\text{ess}}) \times (n/12) \times (PA_{\text{Fess}} M(n)/NAPA_{\text{Fess}}) \text{ subject to ceiling of } (12) \\ \{(AFC_{\text{ess}}) \times (n/12)\} - \sum_{n=1} SCC(n-1)$$

Where,

$SCC_{\text{ess}}(n)$ = Supplementary Capacity Charges of the integrated energy storage system for the n^{th} Month.

AFC_{ess} = Annual Fixed Cost of the ESS.

$PA_{\text{Fess}} M(n)$ = Plant Availability Factor achieved up to the end of the n^{th} Month.

$NAPA_{\text{Fess}}$ = Normative Annual Plant Availability Factor of the integrated energy storage system.

(3) Normative Plant Availability Factor for a month for the purpose of Fixed Storage Charge of the integrated energy storage system shall be as specified in clause (e) of Regulation 70A of these regulations. The $PA_{\text{Fess}} M(n)$ shall be worked out in accordance with Clause (59) of Regulation 3 of these Regulations.”

41. Insertion of New Regulation 64B of the Principal Regulations: After Regulation 64 of the Principal Regulations and Regulation 64A as given above, a new Regulation 64B shall be inserted:—

“64B. Computation and payment of supplementary energy charge on account of integrated energy storage system for coal, lignite or gas-based thermal generating stations:

- (1) The energy charge of the integrated energy storage system shall cover the cost of energy required for charging the integrated energy storage system during charging operation.
- (2) The energy used for charging the integrated energy storage system shall be arranged from the surplus generation from the associated generating station where the integrated energy storage system is installed or the other generating station or from the open market:

Provided that—

- a) use of integrated energy storage systems by the generating company to maintain the technical minimum of the generating unit and to ensure the continuous supply to the beneficiaries shall have priority;
- b) where the surplus energy from the associated generating station is not available for charging the integrated energy storage system, energy from the most economical alternate source may be arranged by the beneficiary or the generating company on behalf of the beneficiaries.

- (3) The supplementary Energy charge payable to the generating company for a month shall be:

Supplementary Energy Charges (SEC(n)) = (Supplementary Energy charge rate of integrated energy storage system (SECRess) in Rs/ kWh) x {Scheduled energy from integrated energy storage system (ex-bus) for the nth month in kWh}

- (4) The supplementary energy charge rate on account of the integrated energy storage system shall be worked out based on the source from where the electricity is procured for charging the integrated energy storage system in the following manner:

- a) Charging from an associated generating station whose tariff is determined by the Commission:

$$(\text{SECRess in Rs/kWh}) = (\text{ECR in Rs/kWh}) / [\text{Maximum (Normative Round-trip efficiency (RTEess), Actual Round trip efficiency)} \times (1-\text{AECess})]$$

- b) Allocated share of beneficiaries from another generating station whose tariff is determined by the Commission:

$$(\text{SECRess in Rs/kWh}) = (\text{ECR in Rs/kWh}) / [\text{Maximum (Normative Round-trip efficiency (RTEess), Actual Round trip efficiency)} \times (1-\text{AECess})]$$

- c) Charging from another generating station whose tariff is approved by the Commission:

$$(\text{SECRess in Rs/kWh}) = [(\text{ECR}) + (\text{CC}) \text{ in Rs/kWh}] / [\text{Maximum (Normative Round-trip efficiency (RTEess), Actual Round trip efficiency)} \times (1-\text{AECess})]$$

- d) Charging from procuring electricity from the open market or any other source:

$$(\text{SECRess in Rs/kWh}) = (\text{Discovered Tariff in Rs/kWh}) / [[\text{Maximum (Normative Round-trip efficiency (RTEess), Actual Round trip efficiency)} \times (1-\text{AECess})]$$

- e) Charging from electricity drawal from the grid during high frequency operation:

$$(\text{SECRess in Rs/kWh}) = (\text{DSM Rate in Rs/kWh}) / [\text{Maximum (Normative Round-trip efficiency (RTEess), Actual Round trip efficiency)} \times (1-\text{AECess})].$$

- (5) In addition to the supplementary capacity charges and supplementary energy charges, an incentive shall be payable to a generating station or unit thereof as ten paise per kWh for excess discharge of energy over and above the energy corresponding to normative round-trip efficiency achieved on a cumulative basis, as specified in Regulation 70 of these regulations.

(6) In case energy for charging is arranged by the beneficiaries at their cost, the Energy Charge Rate shall be zero.”

42. Amendment of Regulation 65 of the Principal Regulations: In clause (7) of Regulation 65 of the Principal Regulations:—

- i)* The words and expressions “truing up at the end of the tariff period” shall be substituted by the words “being trued up on the application filed by the generating company at the end of the tariff period”.
- ii)* The word “directly” after the word, “may” and before, “recover” shall be omitted.

43. Amendment to Regulation 70 of the Principal Regulations: In Regulation 70 of the Principal Regulations, the following new clause (FF) shall be inserted, namely:—

“(FF) Norms of operation for integrated energy storage system : (1) Norms for the operation of an integrated energy storage system shall be as under:-

- a) Normative Availability Factor of integrated energy storage system (NAPAFess) shall be 90% for an integrated energy storage system installed at the generating station;
- b) Round-trip efficiency of the integrated energy storage system (RTEess) shall be 85% for an integrated energy storage system installed at the generating station or the transmission system;
- c) Auxiliary Energy Consumption of integrated energy storage system (AECess) shall be 5% of the input energy supply to an integrated energy storage system installed at the generating station or the transmission system, as the case may be.”

44. Amendment of Regulation 74 of the Principal Regulations: In Regulation 74 of the Principal Regulations:—

i) The existing clause shall be numbered (1) and after the words “for the generating station”, the words and expressions, “including an integrated energy storage system” shall be inserted.

ii) In clause (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the first right of discharge, from the integrated energy storage system, shall lie with the beneficiary, except when it is required for the safe and secure operation of the power system.”

iii) The following new clauses (2) and (3) shall be inserted, namely:—

“(2) The procedure for charging, scheduling, and dispatch of electricity and energy account for the integrated energy storage system shall be prepared by :

- (a) the National Load Despatch Centre in consultation with the beneficiaries, respective Regional Power Committee and Regional Load Dispatch Centre, consistent with the Grid Code for integrated energy storage system with the generating station;

(b) the National Load Despatch Centre in consultation with the designated ISTS customers, respective Regional Power Committee and Regional Load Dispatch Centre, consistent with the Grid Code for integrated energy storage system with the transmission system.

(3) In case of an integrated energy storage system with the generating station, the surplus stored energy can be made available to the National Load Dispatch Centre to use under ancillary services. In case of stored energy of an integrated energy storage system with the transmission system, the priority of usage will be decided by the National Load Despatch Centre.”

45. Amendment of Regulation 78 of the Principal Regulations: In Regulation 78 of the Principal Regulations, after clause (2), the following new clauses (3) and (4) shall be added, namely:—

“(3) The charges determined under these regulations in relation to the integrated energy storage system forming part of the transmission system shall be shared by the beneficiaries or long-term customers or the designated ISTS customers, as the case may be, in accordance with the Sharing Regulations:

Provided that receipts received from providing storage services by the transmission licensee to the generating company or licensee shall be adjusted to reduce the yearly transmission charges of the transmission system.

(4) The transmission licensee shall retain the revenue of ten paise per kWh for excess discharge of energy over and above the energy corresponding to normative round-trip efficiency achieved on an annual basis, as specified in Regulation 70 of these regulations.”

46. Insertion of New Regulation 84A of the Principal Regulations: After Regulation 84 of the Principal Regulations, the following new Regulation 84A shall be inserted, namely:—

“**84A. Sharing of gains on account of storage services:** (1) If the generating company or the transmission licensee, as the case may be, renders storage service to the other generating company, beneficiaries, or the system operator in the form of ancillary services or sale in the open market, there may be a gain on account of the following:

- a) the receipt of the additional charges towards the supplementary fixed charges of the integrated energy storage system;
- b) the receipt of the higher energy charges in comparison with the supplementary energy charges; or
- c) both (a) and (b) above.

(2) The receipt, excluding incentive, if any, under clause (1) above –

- a) shall be appropriated by the generating company against the supplementary storage charges and supplementary energy charges first, and net gain, after adjusting the fixed cost, shall be shared with the beneficiaries and the generating company in the ratio of 1:1;
- b) shall be adjusted by the transmission licensee in the yearly transmission charges of the transmission system.”

47. Insertion of New Regulation 101A of the Principal Regulations: After Regulation 101 of the Principal Regulations, the following new Regulation 101A shall be inserted, namely: —

“101A. Special Provisions relating to Regulatory Sandbox: To scale up research, development, and innovation (RDI) in power sector relevant for energy security, energy transition and self-reliance, the generating company or the transmission licensee, or the company whose tariff or input price determined under these Regulations shall be eligible to participate in the Regulatory Sandbox for undertaking innovation and research projects in the power sector, with prior approval of the Commission, and the additional cost on this count shall be allowed up to 1.0% % of annual fixed cost or ₹100 Cr, whichever is less. The Commission shall issue the guidelines for implementation of the regulatory sandbox.”

48. Amendment to the Appendix I of the Principal Regulations: (1) In Appendix-I, Depreciation Schedule of the Principal Regulations, after the serial number o(iii), following assets in the row at serial number “oo.” shall be added :—

oo.	Integrated energy storage system (lithium-ion)	6.33%
-----	--	-------

(2) In Appendix-II, Depreciation Schedule of the Principal Regulations, after the serial number o(iii), following assets in the row at serial number “oo.” shall be added :—

oo.	Integrated energy storage system (lithium-ion)	6.33%
-----	--	-------

49. Amendment to the Appendix IV of the Principal Regulations: In Appendix-IV of the Principal Regulations:—

i) in clause (2), the following sub-clauses (via) and (viii) shall be inserted, namely:—

“via) Integrated Energy Storage System (“ESS”): Each integrated ESS with the transmission system or sub-station shall be considered as a separate element.”

viii) Thyristor Controlled Series Reactors (TCSCs) or Fixed Series Reactors: Each Thyristor Controlled Series Reactor (TCSCs) or Fixed Series Reactors shall be considered as one element.

ii) In clause (3), the following shall be inserted:

a) “+(z X AVz) +(e X AVe)” and “z+e” shall be added in the numerator and denominator respectively.

b) The following terms shall be added before the formula of TAFMn (in %) for HVDC System:

Z	=	Total number of TCSs or FSCs
AVz	=	Availability of z number of TCSs or FSCs
E	=	Total number of ESSs
Ave	=	Availability of number of ESS”

c) In clause (4), the following sub-clauses shall be added:

“(h) For TCSCs/FSCs- The total rated MVAR capacity;

(i) For integrated energy storage system- the total rated MVARh capacity”

50. Amendment to Appendix-V of the Principal Regulations: In Appendix-V of the Principal Regulations:—

i) the following formulae shall be inserted, namely:—

$$AV_z \text{ (Availability of } z \text{ no. of TCSCs/FSCs)} = \frac{\sum_{a=1}^z W_a(T_a - TN_{Aa})/T_a}{\sum_{a=1}^z W_a}$$

$$AV_e \text{ (Availability of } e \text{ no. of ESS)} = \frac{\sum_{e=1}^z W_e(T_e - TN_{Ae})/T_e}{\sum_{e=1}^z W_e}$$

ii) the following new terms shall be inserted, namely:—

W_a = Weightage factor for a^{th} TSC or FSC

W_e = Weightage factor for e^{th} ESS

51. Amendment to Tariff Filing Forms in Annexure-1 to the Principal Regulations: In Annexure- I of the Principal Regulations —

- i) In Part I, Tariff filing forms for the determination of supplementary tariff for Thermal Generating station, the amendments as identified in Appendix-A shall be incorporated in the tariff filing forms for the determination of supplementary tariff.
- ii) In Part III, Tariff filing forms for the determination of supplementary tariff for the Transmission system, the amendments as identified in Appendix-B shall be incorporated

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./26/2026-27]

Note: (1) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2024 were published vide notification No. L-1/268/2022/CERC dated 15th March 2024 and in the Gazette of India, Extraordinary, Part III-Section 4. No. 468 dated 1st July 2024.

(2) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2024 were published vide notification No. L-1/268/2022/CERC dated 4th February 2025 and in the Gazette of India, Extraordinary, Part III-Section 4. No. 293 dated 11th April, 2025.

Appendix-A**List of the amendments in the Tariff Filing Forms (Thermal) for the determination of the Tariff, Main Tariff Form, Annexure- I, Part I of the Principal Regulations**

1. The following rows shall be added in the Form-1 of Annexure-I (Part I) of the Principal Regulations

S. No.	Particulars	Unit	Existing 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Summary of Supplementary Tariff (ESS)							
4.1	Depreciation	Rs Lakh						
4.2	Interest on Loan	Rs Lakh						
4.3	Return on Equity ¹	Rs Lakh						
4.4	Interest on Working Capital	Rs Lakh						
4.5	O&M Expenses	Rs Lakh						
	Total	Rs Lakh						
4.6	Supplementary Capacity Charges (ESS)	Rs/Unit						
5	Supplementary Energy Charges & Source of Charging							
5.1	Same Generating Station (Name)	Rs/Unit						
5.2	Another Generating Station 1 (Name)	Rs/Unit						
5.3	Another Generating Station 2 (Name)	Rs/Unit						
5.4	Renewable Generation 1 (Name)	Rs/Unit						
5.5	Renewable Generation 2 (Name)	Rs/Unit						
5.6	Open Market (Name of Platform/Traders)	Rs/Unit						
	Total							

2. In the Form-1(I), the title of the form “**Statement showing claimed capital cost – (A+B)**” shall be substituted by the words and expressions “**Statement showing claimed capital cost of generating station, emission control system or the integrated energy storage system, as the case may be – (A+B)**”
3. In the Form-1(IIA), the title of the form “**Statement showing Return on Equity at Normal Rate**” shall be substituted by the words and expressions “**Statement showing Return on Equity at Normal Rate of generating station, emission control system or the integrated energy storage system, as the case may be – (A+B)**”
4. In the Form-1(IIB), the title of the form “**Statement showing Return on Equity linked to SBI MCLR**” shall be substituted by the words and expressions “**Statement showing Return on Equity linked to SBI MCLR_of generating station, emission control system or the integrated energy storage system, as the case may be – (A+B)**”
5. In the Form-2, following rows shall be added after the row “ Details of SPM control system” in the table:

Particulars	Unit-I	Unit-II	Unit-III		
Types of ESS (integrated)						
Technology of ESS (Li-ion, sodium-Sulfur, or Lead-acid)						
Number of Battery Racks/Modules of ESS						
Number of Battery Cell in ESS						
Voltage capacity of Battery Cell (DC volt)						
Operation mode (bi-directional or uni-directional at interface point with the grid)						
Rated Capacity (MW) of ESS						
Maximum continuous rating of ESS (MW)						
Energy Capacity (MWh) of ESS						

Particulars	Unit-I	Unit-II	Unit-III		
Voltage output of ESS						
AC						
DC						
Power Factor of ESS						
Round-Trip Efficiency of ESS						
Response Time of ESS						
State of Charge (SoC)						
Cycle Life of ESS						
C-Rate of ESS						
i) Charging						
ii) Discharging						
Black Start Capability of ESS						
Efficiency or Utilization factor (%) of ESS						

6. In the Form-3, —

- a) the title of the form “Normative parameters considered for tariff computations” shall be substituted by the words and expressions “Normative parameters considered for computations of tariff, supplementary tariff of ECS or supplementary tariff of ESS, as the case may be.”

- b) following rows shall be added after the row “ Transit and Handling Losses of coal or lignite or drawal, as applicable” in the table:

Particulars	Unit	Existing 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7	8
Round-Trip Efficiency	%						
Number of Cycles per day	%						
Total annual cycles							
Availability of ESS (NAPAF)	%						
Auxiliary Energy Consumption of ESS	%						
Depth of Discharge (DoD)							
Useful life of ESS	Years						

7. In the Form-A, —

- a) the words “including emission control system or integrated energy storage system, as the case may be, “ shall be added at the end of title of the form “**Abstract of Capital Cost Estimates and Schedule of Commissioning for the New Projects**”

8. In the Form-B, —

- a) the words “including emission control system or integrated energy storage system, as the case may be, “ shall be added at the end of title;

b) following rows shall be added after the row “ 2.5 Control & Instrumentation (C & I) Package” in the table:

S. No.	Break Down	As per Original Estimates as per Investment Approval	Actual Capital Expenditure as on COD ⁶	Liabilities/ Provisions	Variation (3 - 4 - 5)	Specific Reasons for Variation	Estimated Capital expenditure upto Cut-off dat
			Actual Amount				
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5A	Specific Equipment of ESS						
2.5A.1	Battery Pack Cost						
2.5A.2	Power Conversion System (PCS)						
2.5A.3	AC-DC/DC-DC Coupling cost						
2.5A.4	Battery Management System (BMS)						
2.5A.5	Specific fire protection system						

9. In the Form-E, —

a) the words “including integrated energy storage system, as the case may be, “ shall be added at the end of title;

b) following rows shall be added after the row “ Type of Coal (Domestic/Imported)” in the table:

S. No.	Variables	(Design Operating Range) Values
25	Battery/Module Supply	
26	Power Conversion System (PCS)	
27	Energy Management & Control for ESS	

Appendix-B**List of the amendments in the Tariff Filing Forms (Transmission) for the determination of the Tariff, Main Tariff Form, Annexure- I, Part III of the Principal Regulations**

1. The following rows shall be added in the Form-1 of Annexure-I(Part III) of the Principal Regulations

S. No.	Particulars	Form No.	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2028-29
	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Summary of Supplementary Tariff (ESS)							
2.1	Depreciation	Rs Lakh						
2.2	Interest on Loan	Rs Lakh						
2.3	Return on Equity ¹	Rs Lakh						
2.4	Interest on Working Capital	Rs Lakh						
2.5	O&M Expenses	Rs Lakh						
	Total	Rs Lakh						
2.6	Supplementary Capacity Charges (ESS)	Rs per kWh						
3	Supplementary Energy Charges & Source of Charging							
3.1	Drawal from Inter-state grid (Name)	Rs per kWh						
3.2	Drawal from Intra-state grid (Name)	Rs per kWh						
3.3	Drawal from Generating Station 1 (Name)	Rs per kWh						
3.4	Open Market (Name of Platform/Traders)	Rs per kWh						
3.5	...	Rs per kWh						
3.6	...	Rs per kWh						

2. The following rows shall be added in the Form-2 of Annexure-I(Part III) of the Principal Regulations:

“3A. Integrated Energy Storage System:

S. No.	Name of ESS	Type of ESS	Installed Capacity	No of Modules	No of Battery Cells	Date of Commercial operation	Capital Cost upto Cutoff date(Original Project cost)	Covered in the present Petition	
								Yes/No	If No, Petition No.
1									
2									
3									
-									

Summary

O& M Expenses for the Energy Storage System covered in the instant petition	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
Original Project Cost / Asset related to the ESS					
O&M expenses as per regulations (2% of Original Project Cost)					
Actual O&M Expense (Rupees in Lakh)*					

Plant Characteristics

Particulars	S/S I	S/S-II	S/S-III		
Types of ESS (integrated)						
Technology of ESS (Li-ion, odium-Sulfur, or Lead-acid)						
Number of Battery Racks/Modules						
Number of Battery Cell						

Particulars	S/S I	S/S-II	S/S-III		
Voltage capacity of Battery Cell (DC volt)						
Operation mode (bi-directional or uni-directional at interface point with the grid)						
Rated Capacity (MW)						
Maximum continuous rating of ESS (MW)						
Energy Capacity (MWh)						
Voltage output						
	AC					
	DC					
Power Factor						
Round-Trip Efficiency						
Response Time						
State of Charge (SoC)						
Cycle Life						
C-Rate						
i) Charging						
ii) Discharging						
Black Start Capability						
Efficiency or Utilization factor (%)						

Note: 1. The O&M expenses as per regulation shall be worked on based on estimated project cost.

2. Expenses of ESS shall be allowed on actual basis after due prudence check.

*The actual O&M expenses to be provided at the time of true up.”

3. In clause (4) in the Form-2 of Annexure-I(Part III) of the Principal Regulations, the additional row “4. Integrated Energy Storage System” shall be added.

4. In the Form-3, following rows shall be added in the table:

Particulars	Unit	Existing 2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
1	2	3	4	5	6	7	8
B. Integrated ESS							
Round-Trip Efficiency	%						
Number of Cycles per day	%						
Total annual cycles							
Availability of ESS (NAPAF)	%						
Auxiliary Energy Consumption of ESS	%						
Depth of Discharge (DoD)							
Useful life of ESS	Years						

5. In the Form-5, the following rows shall be added in the table:-

S. No. (1)	Particulars (2)	Cost in Lakh									Projected/actual cost of Deferred work to be capitalised after COD but before cut-off date (7)	Variation between actual Cost and IA/RCE cost as on COD (8=(5-6+7)-(3 or 4))	Reasons for Variation ¹ (9)	Un-Discharge Liabilities included in Col. 5 (10)	Admitted cost (11)	Capital Work in Progress as per Books of Account as on COD (12)	
		As per Original Estimates (3)			As per Revised Cost Estimates (if any)(4)			Actual Capital Expenditure (Gross Block) as on COD as per Books of Account(5)									
		Quantity	Rate	Estimated Cost	Quantity	Rate	Estimated Cost	Quantity	Rate	Gross Block of the asset							
19.4	Hedging Cost																
19.5	Total of IDC, FC, FERV & Hedging Cost (19.1+19.2+19.3+19.4)																
20	Capital cost including IDC, FC, FERV & Hedging Cost (10+11.4+12.5+13.5+19.5)																